



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269756  
CG-DL-E-01022026-269756

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]  
No. 24]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी, 1, 2026/माघ 12, 1947  
NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

फा.सं. 2(4)बी(डी)/2026.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

बजट 2026-27

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का भाषण

1 फरवरी, 2026

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जन्मशती के पावन अवसर पर, मैं वर्ष 2026-2027 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ।

**प्रस्तावना**

1. 12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला, तब से, भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत् विकास और कम मुद्रास्फीति से चिह्नित रहा है। यहां तक कि घोर अनिश्चितताओं और व्यवधानों के समय भी, हमारे द्वारा चुने गए सुविचारित विकल्पों के फलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से और निरंतर, संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है।
2. हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया है। *आत्मनिर्भर भारत* को अपना लक्ष्य मानते हुए, हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ-साथ, हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग 7% का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने तथा हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में मदद मिली है।
3. आज, हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुँच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं।
4. भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा स्थिर दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा।

**भाग - क**

5. जब मैं बजट का भाग क आरंभ कर रही हूँ, मैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती से हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी।
6. हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुँचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य-निष्पादन में परिवर्तित करें।
7. विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे यह एक विशेष युवा शक्ति संचालित बजट बन पाया है।
8. हमारी सरकार का 'संकल्प' हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं:
9. हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत् बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है।
10. हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सकें।
11. हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ, सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुँच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो।
12. इस त्रि-आयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूल और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र

बचत जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं।

### सुधार एक्सप्रेस

13. हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात, 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं को अधिसूचित करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं और इसके साथ-साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है।

14. सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा।

अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ।

15. आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत, मैं छह क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ: i) 7रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना; ii) विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; iii) "चैम्पियन एमएसएमई" का निर्माण करना; iv) अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना; v) दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना; और vi) शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।

**रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना :**

16. बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति) – भारत का रोग बोझ गैर-संक्रामक बीमारियों, जैसे कि मधुमेह, कैंसर और ऑटोइम्यून डिस्ऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, मैं अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक तथा जैव संबद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में, 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (एनआईपीईआर) और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता-प्राप्त इंडिया क्लीनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क भी तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय-सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं।

17. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए, हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय आईपी डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम प्रौद्योगिकी को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे।

18. अप्रैल, 2025 में ₹22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य से दोगुनी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए, हम परिव्यय को बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं।

19. नवम्बर, 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरीडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं।

20. घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात-निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे।

21. मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य, सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु, मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ:

- (क) सीपीएसई द्वारा डिजिटल रूप से समर्थित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च-परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे।
- (ख) उच्च-मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण संवृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिली इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊँचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं।
- (ग) मैं, 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर विनिर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ।

22. श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए, मैं पांच उप साथ के भागों-एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ:

- (क) रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना;
- (ख) मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना;
- (ग) मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम;
- (घ) वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल;
- (ङ) उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0

23. इसके अलावा, मैं चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। वे तकनीकी टेक्सटाइल्स के मूल्य वर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

24. मैं, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे वैश्विक बाजार संबद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा।

25. भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं, उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूँ।

**विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प**

26. मैं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के , योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक 200 लिए

**“चैंपियंस एसएमई” का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:**

27. एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए, मैं ‘चैंपियंस’ के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूँ:

**इक्विटी सहायता**

28. मैं, भविष्य के चैंपियंस तैयार करने, चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित ₹10,000 करोड़ की एसएमई विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

29. मैं, सूक्ष्म उद्यमों की सहायता को जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुँच को बनाए रखने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में ₹2,000 करोड़ के टॉप-अप का भी प्रस्ताव करती हूँ।

**नकदी सहायता**

30. ट्रेड्स के साथ, एमएसएमई को ₹7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए, मैं 4 उपायों का प्रस्ताव करती हूँ: (i) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेड्स को लेनदेन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का अधिदेश करना, जिससे यह अन्य कारपोरेट के लिए एक मानक बन सके; (ii) ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरू करना; (iii) सस्ते और त्वरित वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई से सरकारी खरीद के बारे में वित्त प्रदाताओं के साथ सूचना साझा करने हेतु जेम को ट्रेड्स से जोड़ना; (iv) ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू करना, जो एक द्वितीयक बाजार के विकास में सहायता करेगा और नकदी एवं लेनदेनों के निपटान को बढ़ाएगा।

**पेशेवर सहायता**

31. सरकार विशेष रूप से टियर-II और टियर-III कस्बों में 'कारपोरेट मित्रों' का एक संवर्ग तैयार करने के लिए अल्पावधि, मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यावहारिक टूल्स की डिजाइन करने हेतु आईसीएआई, आईसीएएसआई, आईसीएमएआई जैसे पेशेवर संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगी। ये प्रमाणित अर्ध-पेशेवर एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।

**अवसंरचना**

32. पिछले दशक के दौरान हमारी सरकार ने अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) और स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) जैसे नए वित्तीय साधनों और एनआईआईएफ एवं एनएबीएफआईडी जैसे संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलों की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले (टियर-II और टियर-III) शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनने के लिए विस्तारित किया गया है।

33. सरकारी कैपेक्स वित्त वर्ष 2014-15 में ₹2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में, मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ।

34. अवसंरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए, मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

35. पिछले वर्षों के दौरान, आरईआईटीएस, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बन कर उभरे हैं। मैं समर्पित आरईआईटीएस की स्थापना के माध्यम से सीपीएसई की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ।

36. कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ: (क) पूर्व में डानकूनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरीडोर बनाना; (ख) तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए ओडिशा में एनडबल्यू-5 से शुरू करते हुए, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडबल्यू) शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त

करने के लिए जलमार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी (ग) अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन से माँडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना।

37. अंतिम छोर और दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मैं समुद्री-विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान वीजीएफ योजना भी शुरू की जाएगी।

#### कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण (सीसीयूएस)

38. दिसम्बर, 2025 में शुरू किए गए रोडमैप के अनुरूप, बड़े पैमाने पर सीसीयूएस प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित पांच औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले पांच वर्षों में ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

#### शहरी आर्थिक क्षेत्र

39. शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। हम अब टियर II और टियर III शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर, शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति सीईआर ₹5000 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित है।

40. पर्यावरणीय रूप से सतत् यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच 'विकास संयोजक' के रूप में सात उच्च-गति रेल कॉरीडोर, अर्थात्, (i) मुंबई - पुणे (ii) पुणे - हैदराबाद (iii) हैदराबाद - बेंगलुरु (iv) हैदराबाद - चेन्नई (v) चेन्नई - बेंगलुरु (vi) दिल्ली - वाराणसी और (vii) वाराणसी - सिलीगुड़ी विकसित करेंगे।

#### वित्तीय क्षेत्र

41. मजबूत तुलन-पत्र, लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर, परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गाँवों में कवरेज, आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय, हम इस क्षेत्र के सुधार-प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

42. वित्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए, भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप, इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं "विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति" गठित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

43. ऋण संवितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए एनबीएफसी हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, प्रथम कदम के रूप में, विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है।

44. मैं, भारत की विकासोन्मुख आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन, उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूँ।

#### कॉरपोरेट बांड बाजार

45. मैं, एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूँ जहां कॉरपोरेट बांड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉरपोरेट बांडों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

**म्युनिसिपल बांड**

46. बड़े शहरों द्वारा अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बांड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए, मैं ₹1000 करोड़ से अधिक का एकल बांड जारी करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूँ। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना, जो ₹200 करोड़ तक के बांड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है, वह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी।

**व्यापार करने की सुगमता**

47. सूचीबद्ध से माध्यम के योजना निवेश पोर्टफोलियो को (पीआरओआई) व्यक्ति व्यक्तिगत निवासी बाहर के भारत लि इक्विटी की कंपनियों भारतीयखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सभी, 10 के वर्तमान को सीमा निवेश समग्र लिए के पीआरओआई% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है।

**एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियां**

48. 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है- खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांगजनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने एआई मिशन, राष्ट्रीय क्रांति मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, और अनुसंधान, विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

49. हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के एक दशक से सतत और सुधार-उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं।

50. इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है।

**'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति**

51. मैं, विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें, वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे।

**विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना**

52. हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई शृंखला तैयार करने के लिए, मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ:

**स्वास्थ्य**

53. संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों (एएचपी) के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसमें आप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थिसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलोजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 100,000 एएचपी जोड़े जाएंगे।

54. वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायक उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करके बहु-कौशल युक्त देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, अनेक एनएसक्यूएफ-अनुरूप कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में, 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

### चिकित्सा मूल्य पर्यटन केंद्र

55. भारत को चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए, मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की एक योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इनमें नैदानिक, बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और एएचपी सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे।

### आयुष

56. विश्व के विभिन्न भागों में पहले से सम्मान प्राप्त प्राचीन भारतीय योग को व्यापक वैश्विक पहचान तब मिली, जब माननीय प्रधानमंत्री इसे यूएन में लेकर गए। कोविड के पश्चात, आयुर्वेद को भी समान वैश्विक स्वीकार्यता और पहचान मिली है।

57. गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इन उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले युवाओं को मदद मिलती है। बढ़ रही वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं।

58. मैं, (i) 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने; (ii) प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मोसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने; (iii) पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, जामनगर में डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ।

### पशुपालन

59. पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल हैं। पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को 20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु-शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए, एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा।

### ऑरेंज अर्थव्यवस्था

60. भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब (सीसीएल) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ।

### डिजाइन

61. भारतीय डिजाइन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है और फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं, भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौती मार्ग के माध्यम से एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ।

### शिक्षा

62. हमारी सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरीडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टॉउनशिप का निर्माण करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केन्द्र और आवासीय परिसर होंगे।

63. उच्चतर शिक्षा स्टेम संस्थानों में अध्ययन तथा प्रयोगशाला कार्य हेतु लगने वाला अधिक समय छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती हैं। वीजीएफ/पूँजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

64. गहन अनुभव के माध्यम से खगोल-भौतिकी और खगोल-विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलिस्कोप अवस्थापना सुविधाओं- नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलिस्कोप और द कोसमोस-2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी।

### पर्यटन

65. पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में व्यापक भूमिका निभाने की क्षमता है।

66. मैं, मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। यह शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा।

67. मैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से मानकीकृत, हाईब्रिड मोड में 12 सप्ताह के उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ।

68. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और प्राद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए परिवेश का सृजन करेगा।

69. भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए क्षमता तथा संभावनाएं हैं। हम निम्नलिखित के लिए सतत् परिवेश तंत्र विकसित करेंगे (i) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर; पूर्वी घाट में अराक्कु घाटी और पश्चिमी घाट में पोधीगई मलाई में माउंटेन ट्रेल। (ii) ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स; और (iii) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स।

70. माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमने वर्ष 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना की थी। इस वर्ष भारत, प्रथम ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 95 सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख और मंत्री संरक्षण की सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

### विरासत और संस्कृति पर्यटन

71. मैं, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनोल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। उत्खनित स्थलों को विशेष वाक-वे के माध्यम से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केंद्रों और गाइडों की सहायता के लिए तल्लीन करने वाली कथानिरूपण कौशल और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की जाएगी।

### खेल-कूद

72. खेल-कूद क्षेत्र कई प्रकार के रोजगार, कौशल और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेल-कूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल-कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

73. यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा: (क) प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा समर्थित (आधारभूत, माध्यमिक और एलीट स्तरों पर) एकीकृत प्रतिभा विकास पाथवे; (ख) कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित तरीके से विकास; (ग)

खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण; (घ) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा और लीग का आयोजन; और (ङ) प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास।

74. हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है।

75. इसके लिए निम्नलिखित के लिए लक्षित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं: (क) छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना; (ख) आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च-गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुँच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण; (ग) मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तीकरण; (घ) विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना।

#### किसानों की आय बढ़ाना

76. मत्स्य पालन: हम निम्नलिखित पहलों की शुरुआत करेंगे (i) 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास (ii) तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्ट-अप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला-प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना।

77. पशुपालन: ग्रामीण और शहर के आस-पास के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हम उद्यमिता विकास में पशुपालन क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान करेंगे: (क) ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम (ख) पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण (ग) पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन के लिए एकीकृत संकेन्द्रित-मूल्य श्रृंखला का सृजन, और (घ) पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना।

78. उच्च मूल्य वाली कृषि: कृषि उत्पाद में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए, हम अपने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को भी सहायता प्रदान करेंगे।

79. भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 10 मिलियन किसानों सहित लगभग 30 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूँ ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर-उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग/पौधे/किस्में लगाना शामिल है।

80. भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए, भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है।

81. चंदन की लकड़ी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। भारतीय चंदन लकड़ी के पारितंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु इसके विशेष रूप से उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

82. पुराने, कम उपज वाले फलोद्यानों के संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और खुमानी के अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को शामिल करके मूल्य वर्धन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

**भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुँच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली)**

83. मैं, भारत-विस्तार का प्रस्ताव करती हूँ, जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए, आईसीएआर पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा।

**ग्रामीण महिला-प्रेरित उद्यमों के लिए शी-मार्ट**

84. लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से आगे बढ़ते हुए, मैं, महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूँ। संवर्धित और नवाचार वित्तपोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित किए जाएंगे।

**दिव्यांगजन सशक्तीकरण**

85. दिव्यांगजन कौशल योजना: आईटी, एवीजीसी क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य-उन्मुखी तथा प्रक्रिया-आधारित भूमिका प्रदान करते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त हैं। हम प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग-संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

86. दिव्यांग सहायता योजना: सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुँच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं, (i) सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआइएमसीओ) को सहायता उपलब्ध कराने, (ii) पीएम दिव्याशा केंद्रों को मज़बूत करने और आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करती हूँ, जहाँ दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें।

**मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि**

87. उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। इसीलिए हम निमहांस-2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे।

88. आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे।

**पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान**

89. पूर्वोदय: मैं दुर्गापुर में बेहतर-सम्पर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूँ।

90. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल: पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावडा और महायान/वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरुणांचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी।

**16वां वित्त आयोग**

91. 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर, 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार, सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार, मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप

में, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल है।

### राजकोषीय समेकन

92. सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए, बजट 2025-26 में, मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50±1% के ऋण-से-जीडीपी अनुपात तक पहुँचने का लक्ष्य रखेगी।

93. इसके अनुरूप, ऋण-से-जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में, बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण-से-जीडीपी अनुपात धीरे-धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा।

94. ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखत राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामयी सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूँ कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में, राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

### संशोधित अनुमान 2025-26

95. गैर-ऋण प्राप्ति का संशोधित अनुमान ₹34 लाख करोड़ है जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्ति ₹26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान ₹49.6 लाख करोड़ है जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग ₹11 लाख करोड़ है।

### बजट अनुमान 2026-2027

96. वर्ष 2026-2027 की आते हुए, गैर-ऋण प्राप्ति और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः ₹36.5 लाख करोड़ और ₹53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्ति का अनुमान ₹28.7 लाख करोड़ है।

97. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान ₹11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्तपोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान ₹17.2 लाख करोड़ है।

अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूँ।

भाग ख

प्रत्यक्ष कर

अध्यक्ष महोदय,

98. अब मैं, प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूँगी।

### नया आय कर अधिनियम

99. जुलाई, 2024 में, मैंने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम, 2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

100. करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भलीभांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

101. प्रपत्रों को इस प्रकार पुनः-डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके।

### जीवन जीने की सुगमता

102. मैं, प्रस्ताव करती हूँ कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा।

103. मैं, विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

104. मैं, शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

105. कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार, इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत मात्र होगी।

106. मैं, छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूँ जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से, कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

107. अलग-अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि डिपोजिट्री, निवेशक से प्रपत्र 15छ अथवा प्रपत्र 15ज स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें।

108. मैं, एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसम्बर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

109. मैं, कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूँ। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर-लेखापरीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

110. किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पै न आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है।

111. छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए, मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार के नीचे आय अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

112. यह योजना करदाताओं की दो श्रेणियों पर लागू होगा, नामतः

(क) जिन्होंने अपनी विदेशी आय या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की है और

(ख) जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और/या देय कर का भुगतान किया है, किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं।

श्रेणी (क) के लिए, अप्रकट आय/परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत या अप्रकट आय का 30 प्रतिशत और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आय कर के रूप में 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा एवं इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी।

श्रेणी (ख) के लिए, परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। इसमें, 1 लाख रुपए के शुल्क के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी।

### दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना

113. कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं, दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर-निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता पर कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, पूर्व-भुगतान की मात्रा 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी।

114. मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर-निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में केवल इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे।

115. कम कर की सूचना देने के मामलों में, दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं, उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि, ऐसे मामले में, करदाता को देय कर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में कर राशि के 100 प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

116. खातों की लेखापरीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेनदेनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

117. मैं, कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ।

118. लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की आवश्यकता अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना लगाया जाएगा।

119. शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम, अधिकतम कारावास को कम करके दो वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा जिसमें न्यायालयों को इन्हें जुर्माने में परिवर्तित करने की शक्तियां होंगी।

120. 20 लाख रुपये से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्ति का गैर-प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं दिनांक 01.10.2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का भी प्रस्ताव करती हूँ।

### सहकारिता

121. अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दुग्ध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ।

122. मैं, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ।

123. मैं, किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31.01.2026 तक कंपनियों में किए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव करती हूँ। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।

### भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता

124. भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से

अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

125. इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5 प्रतिशत के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

126. आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

127. आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जिसमें आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर, कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है।

128. मैं, अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एकपक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

129. मैं, एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ।

#### वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना

130. डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, मैं किसी ऐसी विदेशी कंपनी के लिए वर्ष 2047 तक कर रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ जो भारत से डाटा केंद्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि, इसे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

131. यदि डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो, मैं उसे लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

132. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट-इन-टाइम कार्य कुशलता का उपयोग करने के लिए, मैं बीजक मूल्य के 2 प्रतिशत के लाभांतर पर किसी बॉडेड वेयरहाउस में कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। लगभग 0.7 प्रतिशत का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा।

133. भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो बॉडेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है।

134. वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक (गैर-भारत स्रोत) आय के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ।

135. मैं उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं।

#### कर प्रशासन

136. मैं भारतीय लेखांकन मानक (इंडिएएस) में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। कर वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

137. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए, मैं सेफ हार्वर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ।

#### अन्य कर प्रस्ताव

138. बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में, मैं सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि, कर विवाचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कारपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत होगा। गैर-कारपोरेट प्रवर्तकों के लिए यह कर 30 प्रतिशत होगा।

139. विशिष्ट वस्तुओं नामतः एल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रेप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2 प्रतिशत किया जाएगा और तेंदु पत्तों पर दरों को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा।

140. मैं, वायदा सौदों पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी को मौजूदा क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

141. हमने वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे कटौतियों और छूटों का दावा करने की बजाए कारोबार पर समुचित ध्यान केन्द्रित कर सकें।

142. कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, कंपनियों को आगे ले जाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं के ¼ की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

143. मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए, 1 अप्रैल 2026 से कोई और क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15 प्रतिशत की मौजूदा मैट दर को कम करके 14 प्रतिशत किया जा रहा है। 31 मार्च, 2026 तक संचित करदाताओं के आगे ले जायी गई मैट क्रेडिट उपरोक्तानुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

#### अप्रत्यक्ष कर

144. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना को और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को प्रोत्साहित करना, और शुल्क में प्रतिलोम को ठीक करना है।

#### छूटों की समीक्षा तथा प्रशुल्क सरलीकरण

145. लंबे समय से चले आ रहे सीमा-शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए, मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य हैं, वहां पर कतिपय छूटों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी प्रकार, किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए, मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ।

146. मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूंगी।

#### समुद्री, चमड़ा, और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन

147. मैं, निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाली विशिष्ट निविष्टियों के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को, वर्तमान 1 प्रतिशत से बढ़ाकर पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य का 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

148. मैं, विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव भी करती हूँ, जो वर्तमान में चर्म या सिंथेटिक फुटवेयर के निर्यात के लिए उपलब्ध है।

149. मैं, चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म या सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा**

150. मैं, बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम-आयन सेल विनिर्माण का उपयोग करने वालों के साथ-साथ बैट्रियों के लिए लिथियम-आयन सेल विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दिए जाने वाले मूल सीमा-शुल्क छूट को जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ।

151. मैं, सोलर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूल सीमा-शुल्क के छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

**नाभिकीय ऊर्जा**

152. मैं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल सीमा-शुल्क छूट को वर्ष 2035 तक बढ़ाने और इसे उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभिकीय संयंत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**महत्वपूर्ण खनिज**

153. भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए मूल सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

**बायोगैस मिश्रित सीएनजी**

154. मैं, बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूँ।

**सिविल और रक्षा विमानन**

155. मैं, सिविलियन, प्रशिक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

156. रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत, अथवा ऑवरहॉल जरूरतों में प्रयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों के विनिर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करती हूँ।

**इलेक्ट्रॉनिक्स**

157. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मूल्यवर्धन को अधिक मजबूत करने के लिए, मैं माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

**विशेष आर्थिक क्षेत्र**

158. वैश्विक व्यापार विघटन के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए, मैं, विशेष एक-बारगी उपाय के रूप में, सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से किया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर बना रहे। डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे।

**जीवन जीने की सुगमता**

159. निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा-शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए, मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क-योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से कम करते हुए 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

160. रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए, मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

161. मैं, उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य (एफएसएमपी) के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट के प्रयोजनार्थ 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करती हूँ।

### सीमा-शुल्क प्रक्रिया

162. 'विकसित भारत' की ओर हमारी महात्वाकांक्षा और यात्रा के अनुरूप, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है। इस संबंध में, मैं सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचलन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम हस्तक्षेप हो।

### विश्वास आधारित प्रणालियां

163. मैं, टियर 2 और टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव करती हूँ।

164. मैं, पात्र विनिर्माताओं आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टियर 3-एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

165. अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु, मैं सीमा-शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

166. सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप, सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

167. लंबे समय से विश्वास-प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी, ताकि प्रत्येक बार उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो को फैक्ट्री परिसर से पोत तक पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा।

168. उन वस्तुओं के आयात, जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा-शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा।

169. सीमा-शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व-प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक-केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेनदेन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी।

### व्यापार करने की सुगमता

170. विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल बिंदों के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य-जीव उत्पादों, जो निषिद्ध कार्गो का 70 प्रतिशत होता है, के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा।

171. जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा-शुल्क द्वारा, शुल्क के भुगतान के अध्यक्षीन समाशोधित किया जाएगा।

172. सभी सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा-शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) 2 वर्षों में शुरू की जाएगी।

173. गैर-सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

**नए निर्यात अवसर**

हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

क. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा।

ख. विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

175. ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुँच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप ₹10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा, ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा।

**जीवन जीने की सुगमता**

176. यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए, मैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूँ। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप, शुल्क-मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी।

177. ऐसे ईमानदार करदाता हैं, जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं। किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बन्द करने में सक्षम होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ।

जय हिंद !

**भाग क का अनुलग्नक****शिक्षा से रोजगार और उद्यम संबंधी उच्च स्तरीय स्थायी समिति के सांकेतिक विचारार्थ विषय**

- i. विकास, रोजगार और निर्यात की संभावना वाले सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान करना, रोजगार संभावना का पता लगाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट अंतर और समाधान उपायों की पहचान करना;
- ii. मानक निर्धारण और प्रत्यायन सहित विभिन्न क्षेत्रों संबंधी नीति और विनियामक मुद्दों की पहचान करना;
- iii. सेवा निर्यात के क्षेत्रों की जांच करना;
- iv. एआई सहित उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के नौकरियों और कौशल अपेक्षाओं पर प्रभाव का आकलन करना;
- v. स्कूल स्तर से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में एआई को जोड़ने के लिए विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद संस्थानों का उन्नयन;
- vi. एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में प्रौद्योगिकी पेशेवरों/इंजीनियरों के कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए उपायों का प्रस्ताव करना; और
- vii. कामगारों, नौकरियों और प्रशिक्षण अवसरों के एआई समर्थित मानचित्रण के लिए उपायों का प्रस्ताव करना; और

- viii. प्रगति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अनौपचारिक कार्य प्रवाह को दृष्यमान, सत्यापन योग्य और भविष्य के लिए तैयार करने हेतु उपायों का प्रस्ताव करना; और
- ix. विश्व भर से कुशल भारतीय डायस्पोरा और विदेशी कौशल को देश में आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का प्रस्ताव करना।

**बजट भाषण के भाग ख का अनुलग्नक  
प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन**

**1. जीवन की सुगमता**

**(i) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा निर्णित हर्जाना राशि पर ब्याज की छूट**

- मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवार के दुःखों को कम करने के लिए एमएसीटी द्वारा निर्णित हर्जाना राशि पर किसी ब्याज पर छूट देने का प्रस्ताव है।
- यह भी प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति के मामले में एमएसीटी द्वारा निर्णित ब्याज की राशि कितनी भी क्यों न हो, ऐसे ब्याज के लिए स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी।

**(ii) कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए टीडीएस की दर के लागू होने के संबंध में अस्पष्टता को दूर करना**

- कर्मचारियों की आपूर्ति को आय कर अधिनियम की धारा 402(47) के अधीन "कार्य" की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जाए कि कर्मचारियों की ऐसी आपूर्ति पर धारा 393(1) के उपबंधों के तहत "ठेकेदारों को भुगतान" [तालिका क्रम सं. 6(i) और (ii)] के रूप में स्रोत पर कर कटौती की जाए और न की धारा 393(1) के अधीन "व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क" [तालिका सं. (iii)] के उपबंधों के अधीन।

**(iii) कम दर पर आय कर कटौती करने या आय कर की कटौती नहीं करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और प्रमाण पत्र निर्गमन को सक्षम करना**

- भुगतान प्राप्त करने वाले को एक ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध करा कर छोटे करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने का प्रस्ताव है, जिसमें वह इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के बाद ऑनलाइन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित कम दर पर आय कर कटौती अथवा शून्य कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगा।

**(iv) आयकर अधिनियम की धारा 393(6) के अधीन न्यास में स्रोत पर कर की शून्य कटौती के लिए घोषणा दायर करने को सक्षम करना**

- करदाता द्वारा न्यास में स्रोत पर कर की कटौती नहीं होने की घोषणा दायर करने की अनुमति देने की प्रस्ताव है, जहां आय की प्रकृति निम्नलिखित है- (i) स्यूचुअलफंड की यूनिट से आय (ii) प्रतिभूतियों से ब्याज आय और (iii) लाभांश। यह अलग-अलग करदाताओं के लिए अलग-अलग घोषणा दायर करने हेतु निवेशक की अपेक्षाओं का समाधान करेगा। न्यास ऐसी घोषणाओं को ऐसी आय के भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को सूचित करेगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति करदाता से उसके द्वारा प्राप्त घोषणा को मौजूदा मासिक आधार के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर विभाग को प्रस्तुत करेगा।

**(v) संशोधित रिटर्न अथवा विलंबित रिटर्न दायर करने के लिए समय विस्तार**

- वर्तमान में अगले कर वर्ष के 31 दिसंबर तक रिटर्न दायर की जा सकती है। धारा 92ड के तहत अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार में संलग्न व्यक्तियों के लिए रिटर्न दायर करने की अवधि 31 अक्तूबर तक बढ़ाई गई है। इस संबंध में, संशोधित रिटर्न दायर करने की अवधि को अगले कर वर्ष के 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह संशोधित रिटर्न मूल रिटर्न अथवा विलंबित रिटर्न हो सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद किए गए मूल रिटर्न अथवा विलंबित रिटर्न के संशोधन के लिए 1000 रुपये या 5000 रुपये का नाममात्र शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आय 5 लाख रुपये तक है या उससे अधिक।

**(vi) गैर परिवर्तन में तिथि निर्धारित की करने दायर रिटर्न आयकर लिए के न्यासों और व्यवसाय लेखापरीक्षणिय-**

- 31 जुलाई तक को कर रिटर्न दायर करने के लिए अलग-अलग समय का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दायर करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न दायर करना जारी रख सकते हैं और गैर-लेखापरीक्षणिय व्यवसाय और ट्रस्टों के मामले में निर्धारित तारीख 31 अगस्त होगी।

**(vii) किसी प्रवासी द्वारा निवासी व्यक्ति अथवा एचयूएफ को अचल संपत्ति की बिक्री पर अनुपालन में कमी।**

- यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि निवासी व्यक्ति या एचयूएफ के लिए धारा 393(2) [तालिका क्रम सं. 17] के तहत प्रवासी व्यक्ति द्वारा किसी अचल संपत्ति के अंतरण पर किसी विचार के संबंध में स्रोत पर कर कटौती के लिए कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा। इसके स्थान पर, कटौती को पैन नंबर के साथ उसी प्रकार सूचित किया जाएगा जैसे दो निवासियों के बीच इस प्रकृति के संव्यवहार को सूचित किया जाता है।

**(viii) कर्मचारी अंशदान का कटौती के रूप में दावा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को जमा करने की निर्धारित तारीख को युक्तिसंगत बनाना।**

- यह प्रस्ताव है कि नियोक्ता के रूप में कर निर्धारक द्वारा कर्मचारी से प्राप्त अंशदान की किसी राशि की कटौती की निर्धारणकर्ता के हाथ में कटौती के रूप में अनुमति होगी यदि ऐसी राशि कर निर्धारक द्वारा किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किसी निधि में अधिनियम की धारा 263(1) के अधीन आय कर विवरण दायर करने के निर्धारित तारीख को या उससे पहले जमा की जाती है।

**(ix) जीवन बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय के लाभ या आय की गणना से संबंधित प्रावधान को युक्तिसंगत बनाना।**

- यह प्रस्ताव है कि कोई राशि जिसे अधिनियम की धारा 35 (ख) (i) अथवा (ii) के उपबंधों के अनुसार पहले गैर-जीवन बीमा व्यवसाय की आय में जोड़ा गया था, जिसकी कर के रूप में कटौती नहीं की गई थी अथवा भुगतान नहीं किया गया था, उसकी अधिनियम की धारा 35 (ख) (i) अथवा (ii) के उपबंधों के अनुसार उस कर वर्ष में, जिसमें कटौती की गई या भुगतान किया गया, कटौती करने की अनुमति होगी।

**(x) छोटे करदाताओं की विदेशी आस्तियां करना शुरू (डीएस – एफएएसटी) स्कीम प्रकटीकरण –**

- कतिपय सीमा से कम राशि के मामले में करदाताओं के लिए विदेशी आस्तियों और विदेशी स्रोत से आय की घोषणा के लिए समयबद्ध स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है।

**2. अर्थदंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना****(i) कार्यवाहियों की बहुलता में कमी**

- वर्तमान में, निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने के बाद दण्ड कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं। इससे किसी निर्धारण से उत्पन्न मामले के समापन में लंबा समय लगता है। कार्यवाहियों की बहुलता से लंबित अपीलों की संख्या, विवाद और अनुपालन की लागत में वृद्धि होती है। विवादों के त्वरित समाधान का उपबंध करने के लिए करदाता को मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तिसंगत अवसर देकर एक सामान्य आदेश द्वारा निर्धारण और अर्थदंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव है।
- मांग की मात्रा में वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों से करदाताओं को राहत देने के लिए अर्थदंड पर ब्याज को प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने तक स्थगित रखने का प्रस्ताव है।

**(ii) आय की गलत सूचना देने के परिणामस्वरूप कम आय की सूचना के लिए अर्थदंड और ऐसे मामलों में अभियोजन से उन्मुक्ति**

अर्थदंड दो प्रकार के हैं-

- (i) गलती या नजर अंदाज होने के कारण कम आय की सूचना जहां अर्थदंड कर राशि का 50 प्रतिशत है और आय की गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम आय दिखाने के लिए फ्रेमवर्क
- (ii) गलत या चूकपूर्ण सूचना देकर अथवा आय के प्रकार को गलत तरीके से प्रस्तुत करके आय की गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम आय दिखाने के लिए अर्थदंड कर आय का 200 प्रतिशत है।

यदि कम आय की सूचना के लिए अर्थदंड कार्यवाही शुरू की जाती है तो अधिनियम की धारा 478 और 479 के अधीन अर्थदंड और अभियोजन से मुक्ति के लिए वर्तमान में एक फ्रेमवर्क है। इस संबंध में अतिरिक्त आयकर के रूप में कर राशि के 100 प्रतिशत के भुगतान पर इसे लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अस्पष्ट स्रोत वाले नकदी ऋण के संबंध में आय की गलत सूचना का लिए कर के 120 प्रतिशत के साथ समाधान प्रावधान करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में अधिनियम के अध्याय XXII के उपबंधों के अनुसार अभियोजन में उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी।

**(iii) अर्थदंड का शुल्क में परिवर्तन**

- (i) खातों की लेखापरीक्षा में विफल रहने के लिए अर्थदंड ,
- (ii) टीपी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए अर्थदंड
- (iii) वित्तीय लेन देन या रिपोर्ट किए जाने योग्य खाते के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए-अर्थदंड को अधिकतम सीमा के अधीन चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रभारित शुल्क में बदलने का प्रस्ताव है।

**(iv) अभियोजन फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बनाना**

- लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने, और नकद में किए गए भुगतान के लिए कटौतीकर्ता से टीडीएस का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा को पूरी तरह अपराध से बाहर करने का प्रस्ताव है।
- यह भी प्रस्ताव है कि सभी अभियोजनों को युक्तिसंगत करते हुए सश्रम कारावास से बदल कर साधारण कारावास किया जाएगा।
- किसी अपराध (बार-बार के अपराध को छोड़कर) के लिए अधिकतम अधिकतम दंड को 7 वर्ष से कम करके 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- ऐसे मामलों में जहां वर्तमान में अधिकतम दंड दो वर्ष है, वहां दंड को जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना तथा न्यूनतम कारावास की सीमा से रहित करते हुए कम करके 06 माह कर दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम 2025 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन बचाई गई कर की राशि के आधार पर होगा और दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होगा। ऐसे मामलों में कारावास के अधिकतम दंड की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है और अनिवार्य जुर्माने की अपेक्षा को शिथिल करके वैकल्पिक बना दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि गौण अपराध के लिए दंड के रूप में केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

**(v) अधिनियम की धारा 195 के तहत प्रभारित विशेष आय के लिए कर दर को युक्तिसंगत बनाना**

- वर्तमान में नगद ऋण, अस्पष्ट निवेश, आदि की प्रकृति के आय जैसे कतिपय आय पर विशेष कर दर है। यह कर दर 60% है और अर्थदंड कर का 10% है। इन आयों पर कर दर को युक्तिसंगत करते हुए इसे 30% करने का प्रस्ताव है। ऐसी राशि पर अर्थदंड का विलय आय की गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम आय की सूचना के लिए अर्थदंड में किया जाएगा, अर्थात् कर राशि का 200%।

**(vi) कुछ परिस्थितियों में तलाशी लिए गए व्यक्ति से इतर व्यक्तियों के मामले में तलाशी कर निर्धारण की छूट**

- तलाशी मामलों में कर निर्धारण के प्रावधान वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे। नई स्कीम में जहां अन्य व्यक्ति से संबंधित अपराध संकेती सामग्री का संबंध केवल एकल कर वर्ष से है वहां अन्य व्यक्ति को भी पूर्ण ब्लॉक कर निर्धारण प्रक्रिया से गुजरना अपेक्षित होता है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति पर भी अनुपालन अपेक्षा का भार बढ़ जाता है जिसके विरुद्ध कोई भी तलाशी या मांग शुरू नहीं की गई थी।
- अन्य व्यक्ति के मामले में ब्लॉक की अवधि को सीमित किए जाने का प्रस्ताव है जहां अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकट न की गई आय केवल एक कर वर्ष से संबंधित है। ऐसे मामलों में ब्लॉक अवधि की परिभाषा को तदनुसार संशोधित किए जाने प्रस्ताव है।

**(vii) तलाशी कर निर्धारण के लिए समयसीमा-**

- आयकर अधिनियम 2025 की धारा 296 को भी संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि तलाशी की सूचना की तिथि को ब्लॉक कर निर्धारण के लिए तिथि का निर्णय करने के संदर्भ बिन्दु के रूप में लिया जा सके जिसके परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में बारह महीनों की अवधि को बढ़ाकर अठारह महीने किए जाने का प्रस्ताव है।

**(viii) अद्यतन विवरणी दर्ज करने के दायरे को बढ़ाया जाना**

- जहां करदाता कोई अतिरिक्त आय दर्शाना चाहता है वहां कर विवरणी अपडेट करने की सुविधा मौजूद है। यह सुविधा संगत वर्ष के बाद पहले से चौथे वर्ष में 25%, 50%, 60%, 70% की दर देयता के लिए चार वर्षों की अवधि तक उपलब्ध रहती है, जब पहली बार आयकर विवरणी दायर करना अपेक्षित है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अतिरिक्त उपाय उपलब्ध करवाने हेतु पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियां शुरू होने के पश्चात भी करदाता को विवरणी अपडेट करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। इस अपडेशन से संगत वर्ष के लिए लागू दरों पर अतिरिक्त 10% की दर से कर लगाने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव है।
- यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में जहां करदाता धारा 263(1) के अंतर्गत मूल विवरणी में दायर की गई हानि की राशि को कम करता है, वहां अपडेटेड विवरणी दायर की जा सकेगी।
- यह भी प्रस्ताव है कि जहां करदाता अद्यतन रिटर्न दायर करता है और अतिरिक्त आय रिपोर्ट करता है वहां ऐसी अतिरिक्त आय पर दंड नहीं लगाया जाएगा।

**(ix) काला धन अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन से प्रतिरक्षा**

- काला धन (अप्रकट विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बीस लाख रुपये से कम की सकल मूल्य वाली अचल आस्तियों का प्रकटन न करने के लिए कोई अर्थदंड नहीं है। ऐसे मामलों में अभियोजन से इस प्रतिरक्षा को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने का प्रस्ताव है जो दिनांक 01.10.2024 से प्रभावी रहेगी।

**(x) क्रिप्टो आस्तियों के लेन विवरण में ब्यौरे संबंधी देन-प्रस्तुत न करने अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अर्थदंड का प्रावधान**

- आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 509 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विवरण प्रस्तुत न करने अथवा ऐसे विवरण में क्रिप्टो आस्तियों के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निवारक उपाय तैयार करने के लिए अर्थदंड का प्रावधान पेश किए जाने का प्रस्ताव है। विवरण प्रस्तुत न करने के लिए प्रतिदिन 200 रुपये का अर्थदंड तथा गलत विवरण प्रस्तुत करने और इस प्रकार के गलत विवरण को ठीक करने में विफल रहने पर 50,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव है।

**3. सहकारिता****(i) केन्द्रीय सहकारी समिति को चारा और विनौला की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समिति के लाभ और अभिलाभ की कटौती**

- किसी केन्द्रीय सहकारी समिति और समान कार्यकलाप में संलग्न किसी अन्य को प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा उत्पादित दुग्ध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों के लाभ और अभिलाभ की कटौती का लाभ दिए जाने की अनुमति है। किसी केन्द्रीय सहकारी या सरकारी संगठनों को अन्य चीजों के साथ-साथ, चारा और विनौले की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समिति के लिए इस कटौती का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है।

**(ii) नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी समिति के लाभांश आय की कटौती**

- पुरानी कर व्यवस्था में किसी दूसरी सहकारी समिति से किसी सहकारी समिति को प्राप्त लाभांश को कटौती के रूप में माने जाने की अनुमति है। नई कर व्यवस्था में इस कटौती की अनुमति न दिया जाना दोहरे करारोपण का कारण बन सकती है क्योंकि सहकारी समितियों द्वारा आगे वितरण पर इसके सदस्यों पर कर लगाया जा सकता है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि अंतरसीम उस में रूप के कटौती को आय लाभांश समिति सहकारी-या तक अनुमति दी जाए जिसका वितरण आगे उसके सदस्यों के बीच किया जाता है।

**(iii) नई कर व्यवस्था में अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्राप्त लाभांश आय की कटौती**

- किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा कंपनियों में किए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। यह कटौती 31.01.2026 तक किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश तक सीमित है।
- इसके अलावा, यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित कर दिया जाए।

**4. वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना**

**(i) भारत में डाटा सेंटर सेवाओं का उपयोग सेवाएं प्रदान करने वाली किसी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर राहत।**

- डाटा सेंटरों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह प्रस्ताव है कि भारत में डाटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्व के किसी भी भाग में सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर राहत प्रदान की जाए। भारतीय प्रयोक्ताओं को सेवाओं की बिक्री किसी भारतीय रीसेलर कंपनी द्वारा ही की जाएगी और उसपर उपयुक्त कर लगाया जाएगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि किसी संबंधित विदेशी कंपनी (जो भारत के बाहर विश्व के किसी हिस्से में क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करा रहा है) को डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली निवासी कंपनी को 15% का सेफ हार्बर उपलब्ध कराया जाए।

**(ii) इलेक्ट्रॉनिक सामानों का विनिर्माण करने वाले टोल विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन**

- भारत में टोल विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव है कि आबद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में कार्यरत किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत सामान उपस्कर और टूलिंग उपलब्ध करवाने वाली किसी विदेशी कंपनी को छूट प्रदान की जाए। यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से शुरू करके पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित है।

**(iii) भारत का दौरा करने वाले और लंबी अवधि के लिए निवास करने वाले किसी विशेषज्ञ की वैश्विक आय (भारतीय स्रोत से प्राप्त आय के अलावा) के लिए छूट**

- लंबी अवधि के लिए भारत में रहकर काम करने के लिए विश्व के प्रतिभाशाली लोगों का एक विस्तृत समूह बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में लंबे समय तक निवास करने के बावजूद केवल भारतीय स्रोत से प्राप्त आय पर ही कर लगाकर उनको चिंतामुक्त रखा जाए।
- तदनुसार, कोई विशेषज्ञ जो भारत आता है और पांच वर्ष की अवधि के लिए यहां निवास करता है, उसकी वैश्विक आय (भारतीय स्रोत से प्राप्त आय के अलावा) पर छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। भारत का दौरा करने वाले विशेषज्ञ को भारत आने से पिछले पांच वर्षों की अवधि में अनिवासी के रूप में होना चाहिए तथा उसने अधिसूचित सरकारी स्कीम के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराई हों।

**(iv) प्रकल्पित करारोपण स्कीम का लाभ उठाने वाले अनिवासी के लिए एमएटी से छूट**

- अधिकांश अनिवासी जो प्रकल्पित करारोपण स्कीम का लाभ उठाते हैं उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी जाती है। यह प्रस्ताव है कि सभी अनिवासी जो प्रकल्पित कर का भुगतान करते हैं उनको एमएटी से यह छूट प्रदान की जाए।

**(v) महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की संभावना का पता लगाने को प्रोत्साहन**

- महत्वपूर्ण खनिजों की संभावना और अन्वेषण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव है कि कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को अधिनियम की अनुसूची XII में खनिजों की सूची में शामिल किया जाए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की संभावना और अन्वेषण पर होने वाले व्यय को अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार कटौती के लिए पात्र बनाया जा सके।

**(vi) आईएफएससी यूनिटों के लिए कटौती की अवधि का विस्तार और कर दर को युक्तिसंगत करना**

- आईएफएससी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, धारा 147 के अधीन कटौती की अवधि को आईएफएससी में यूनिटों के लिए 25 वर्ष में से 20 लगातार वर्ष और ओबीयू के लिए 20 लगातार वर्ष करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि कटौती की अवधि की समाप्ति के बाद आईएफएससी से इन यूनिटों की व्यवसाय आय पर 15 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा।

**(vii) आईएफएससी में ट्रेजरी केंद्रों के लिए कुछ मर्दों को युक्ति संगत करना**

- आईएफएससी के ट्रेजरी केंद्र पर लागू मानित लाभांश को यह प्रावधान करके युक्तिसंगत करने का प्रस्ताव है कि मानित लाभांश का प्रावधान लागू नहीं होगा यदि
  - (i) समूह का मूल निकाय या प्रधान निकाय भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में सूचीबद्ध होगा; और
  - (ii) लेनदेन से संबंधित ऐसा मूल या प्रधान निकाय या अन्य समूह निकाय केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित विनिर्देशन के अनुसार भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में स्थित है।

**5. कारपोरेट कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना**

नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने वाली कंपनियों के लिए समायोजित आगे लाए गए एमएटी क्रेडिट के न्यूनतम वैकल्पिक कर कटौती में दर की भत्तों और (एमएटी)

- (i) कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए एमएटी को अंतिम कर बनाए जाने और दरों को 15% से घटाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे भुगतान के संबंध में भावी कर वर्षों में क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) इसके अलावा, आगे लाए गए एमएटी क्रेडिट, जो 2026-27 के कर वर्ष के पहले उपलब्ध को, के समायोजन की अनुमति केवल उन घरेलू कंपनियों को दी जाएगी जो इसके बाद नई व्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएंगी।
- (iii) 1.04.2026 की स्थिति के अनुसार अग्नेनीत नई कर व्यवस्था में एमएटी क्रेडिट के समायोजन की अनुमति घरेलू कंपनियों को उनकी कर देयता के 25% की सीमा तक छूट प्राप्त करने के लिए दी जाएगी।
- (iv) अग्नेनीत एमएटी क्रेडिट उस वर्ष से 15वें वर्ष तक ही उपलब्ध होगा जब संगत क्रेडिट पहली बार उपलब्ध था।
- (v) विदेशी कंपनियों के मामले में यह समायोजन उस कर वर्ष के लिए कुल आय पर कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर के बीच अंतर की सीमा तक दिए जाने का प्रस्ताव है जिसमें सामान्य कर एमएटी से अधिक है।

**6. अन्य प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना****(i) शेयर बायबैक को युक्तिसंगत बनाना**

- किसी शेयरधारक द्वारा बायबैक पर प्राप्त प्रतिफल को लाभांश आय के रूप में माने जाने के बजाय पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत करारोपण के लिए विचारार्थ रखे जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव भी है कि प्रमोटर्स के लिए

विभेदक दरें उपलब्ध करवाई जाएं जहां बायबैक में लाभ का प्रभावी दर प्रवर्तकों, जो घरेलू कंपनियां हैं, के लिए 22 प्रतिशत होगा और घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत होगा।

(ii) स्रोत दरों पर कर संग्रहण बनाना युक्तिसंगत को (टीसीएस)

- प्रस्ताव है कि टीसीएस दरों की विविधता कम की जाए। साथ ही इस मद में नकदी प्रवाह के मामलों के निपटान हेतु कतिपय टीसीएस दरें युक्तिसंगत बनायी गई हैं।

क्र.सं.	प्राप्ति की प्रकृति	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	मानव उपभोग के लिए ऐल्कोहॉल युक्त लिकर की बिक्री	1%.	2%.
2	तेंदू पत्तों की बिक्री	5%.	2%.
3	स्क्रेप की बिक्री	1%.	2%.
4	खनिजों लौह या लिग्नाइट अथवा कोयला , बिक्री की अयस्क	1%.	2%.
5	उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत राशि अथवा धनराशि के जोड़ का विप्रेषण दस लाख रूपए से अधिक हो—	(क) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार के प्रयोजनों के लिए 5%; (ख) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार से इतर प्रयोजनों के लिए 20%	(क) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार के प्रयोजनों के लिए 2%; (ख) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार से इतर प्रयोजनों के लिए 20%
6	यात्रा अथवा होटल में ठहरने या रहने या रूकने या अन्य समान अथवा संबंधित व्यय सहित "विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज" की बिक्री	(क) दस लाख रूपए तक राशि अथवा कुल राशि का 5%; (ख) दस लाख रूपए से अधिक के लिए राशि अथवा कुल राशि का 20%	2%

(iii) एसटीटी दर वृद्धि

- पूंजी बाजार में एफएंडओ क्षेत्र में विवेकशील क्रम सुधार उपलब्ध कराने तथा सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए फ्यूचर्स पर एसटीटी को वर्तमान 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है।
- ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी की वर्तमान दर क्रमशः 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है।

(iv) सरकारी स्वर्ण बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ से छूट

- यह प्रस्तावित है कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड के संबंध में पूंजीगत लाभ कर से छूट तभी उपलब्ध होगी जब ऐसे बांड प्रारंभिक निर्गम के समय व्यक्ति द्वारा अभिदत्त तथा परिपक्वता पर शोधन तक लगातार रखे जाते हैं,
- यह भी प्रस्तावित है कि यह छूट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी सरकारी स्वर्ण बॉन्ड पर लागू होगा।

(v) मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों से संबंधित अनुसूची XI को युक्तिसंगत बनाना

- यह प्रस्तावित है कि नियोक्ता के अंशदान पर समानता आधारित और प्रतिशत आधारित सीमाओं के विलोप द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने, वेतन आधारित शिथिलता और

शेयरधारक आधारित प्रभेद हटाने, कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 17 और विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत मान्यता हेतु पात्रता को अनुरूप करने तथा लागू ईपीएफओ मानदंडों से असंगत अनम्य सांविधिक सीमाओं को हटाने हेतु निवेश संबंधी उपबंधों को आशोधित करने के लिए अनुसूची XI संशोधित की जाए।

**(vi) लाभांश और म्युचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाना**

- यह प्रस्ताव है कि म्युचुअल फंड की यूनिटों से लाभांश आय अथवा आय के संबंध में किए गए व्यय पर किसी ब्याज के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं होगी तथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यक्षीन ऐसी कटौती अनुमत करने संबंधी मौजूदा उपबंध का लोप किया जाए।

**(vii) ऐसे प्रावधान किए जाए जिनसे उन परिस्थितियों में स्पष्टता हो जिनमें कोई राशि, जिसका दावा कटौती के रूप में किया गया है अथवा जिसे कुल आय में जोड़ा नहीं गया है, को आय समझा जाए**

- यह प्रस्ताव है जहां कोई राशि निरसित आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत है या कुल आय में शामिल नहीं की गई है, ऐसी राशि किसी शर्त के उल्लंघन बिना भी आय कर अधिनियम 2025 के अंतर्गत आय समझी जाएगी, यदि वह आय कर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अंतर्गत कुल आय में शामिल होता यदि उसका निरसन नहीं होता।

**(viii) टन भार कर योजना से संबंधित उपबंधों को युक्तिसंगत बनाना**

- यह प्रस्तावित है कि टन भार कर योजना के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया जाए ताकि यह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप हो सके।

**(ix) सशस्त्र बलों के लिए दिव्यांगता पेंशन**

- यह प्रस्ताव है कि अधिवर्षिता या अन्यथा सेवा निवृत्ति के मामलों को छोड़कर, अर्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों को प्रदत्त दिव्यांगता पेंशन, सेवा शर्त और दिव्यांगता शर्त, दोनों को शामिल करते हुए, जहां कार्मिक, सेना, नौसेना अथवा वायु सेना सेवा के कारण या उसके प्रकोपन के कारण शारीरिक अशक्तता के कारण सेवा से बाहर हो गया हो, के लिए विशेष छूट दी जाए।

**(x) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अंतर्गत किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर आय में छूट**

- भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण के लिए विशिष्ट रूप से छूट प्रदान करने हेतु यह प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम (उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अधिनिर्णय अथवा करार के अतिरिक्त) के अंतर्गत किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय अथवा करार से संबंधित कोई आय पर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को छूट दी जाए।

**(xi) आशोधित विवरण प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार करने हेतु व्यक्ति की संबद्ध इकाई को सुविधा**

- अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) में करार के अनुसार आशोधित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार करने हेतु इकाई को पहले से सुविधा दी गई है। यह प्रस्ताव है कि यह सुविधा, करार करने वाली व्यक्ति की संबद्ध इकाई को भी प्रदान की जाए जहां उसकी आय भी करार के कारण परिवर्तित हो जाती है।

**(xii) स्पष्टीकरण की प्रकृति में संशोधन**

- कुछ ऐसे विधिक मुद्दे हैं जिनमें न्यायालयों के निर्णय भिन्न हैं। ये विवाद निपटान पैनल की कार्यवाहियों के पश्चात निर्धारण हेतु समय-सीमा, अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आदेश के लिए समय-सीमा, दस्तावेज पहचान संख्या और क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः निर्धारण हेतु नोटिस जारी करने से संबंधित हैं। इस संबंध में यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा आयकर अधिनियम, 2025 में इन मुद्दों को स्पष्ट किया जाए ताकि उपबंधों में स्पष्टता आ सके।

## (xiii) आय कर अधिनियम, 2025 में अन्य छोटे आशोधन

- यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 66 में “पण्य व्युत्पन्न” की परिभाषा उपलब्ध हो।
- यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 402 में “प्राधिकृत व्यक्ति” की परिभाषा उपलब्ध हो।
- यह प्रस्ताव है कि धारा 393(1) की टिप्पणी 3 में संदर्भ त्रुटि में सुधार किया जाए [तालिका: क्र.सं. 3(i)] से [तालिका: क्र.सं. 3(iii)] से [तालिका: क्र.सं. 3(i)].
- यह प्रस्ताव है कि धारा 99(2) से 99(1)(क)(i) से धारा 99(1)(क)(ii) में संदर्भ त्रुटि में सुधार किया जाए।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 400(2) संशोधित की जाए ताकि यह आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के आशय के अनुरूप हो सके तथा यह कि इस धारा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, आय कर की कटौती या संग्रहण, जैसा भी मामला हो, करने वाले आय कर प्राधिकारियों के साथ-साथ उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होंगे।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धाराएं 58, 162, 164, 165, 202 और 270 संशोधित की जाएं ताकि धारा 144 और अध्याय VIII, दोनों में दोहरे संदर्भ को हटाया जा सके क्योंकि अध्याय VIII में पहले से धारा 144 शामिल है।
- यह प्रस्ताव है कि आय कर आयकर अधिनियम, 2025, 1961 की धारा 10(4घ) के उपबंधों के साथ अधिनियम की अनुसूची VI [टिप्पणी 1(ज)] में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट निधि की परिभाषा के अनुरूप बनाने हेतु अनुसूची VI [टिप्पणी 1(ज)] संशोधित की जाए।
- यह प्रस्ताव है कि धारा 352(4) [तालिका: क्र.सं. 8] संशोधित की जाए ताकि यह पंजीकृत अलाभकारी संगठनों का कोई पंजीकृत अलाभकारी संगठन को छोड़कर किसी अन्य संस्था के साथ विलय अथवा समान अथवा उसी प्रकार के लक्ष्यों के साथ पंजीकृत कोई अन्य अलाभकारी संगठन के साथ विलय, परंतु उक्त विलय निर्धारित ऐसी शर्तों को पूरी नहीं करता हो या पंजीकृत अलाभकारी संगठन, जिसके समान और उसी प्रकार के लक्ष्य न हो, के साथ विलय के मामले में अभिवृद्धि आय से संबंधित उपबंधों के अनुरूप हो सके।
- यह प्रस्ताव है कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12कग के अनुरूप एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए ताकि पंजीकृत अलाभकारी संगठन का किसी समान या उसी प्रकार के लक्ष्यों वाले किसी अन्य पंजीकृत अलाभकारी संगठन के साथ विलय, यदि उक्त विलय यथा निर्धारित ऐसी शर्तें पूरी करता हो, की अनुमति हो।
- यह प्रस्ताव है कि आय कर आयकर अधिनियम, 2025, 1961 के उपबंध के अनुरूप अधिनियम की धारा 351 संशोधित की जाए ताकि उक्त धारा में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 346 के संदर्भ को हटाया जा सके।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 332(1)(च) संशोधित की जाए ताकि उक्त धारा में अनुसूची VII [तालिका: क्र.सं. 10 से 16] का संदर्भ हटाया जा सके जिससे पंजीकृत अलाभकारी संगठन के रूप में उनके पंजीकरण हेतु ऐसी निधियां अपेक्षित न हो।
- यह प्रस्ताव है कि पंजीकृत अलाभकारी संगठन द्वारा विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु धारा 349 संशोधित की जाए।
- यह प्रस्ताव है कि संपत्ति या उसके भाग के वार्षिक मूल्य में परिवर्तन किया जाए जो “दो वर्षों के लिए” से “दो वर्षों तक” के स्थान पर शून्य समझा जाए।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) संशोधित की जाए जिससे कि यह उपबंधित हो सके कि उधार ली गई पूंजी पर ब्याज हेतु कटौती की समग्र राशि में पूर्व अवधि देय ब्याज सम्मिलित होगी।

- यह प्रस्ताव है कि धारा 262 (10)(ग) संशोधित की जाए ताकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे दस्तावेजों, जो व्यापार या पेशे से संबंधित नहीं है, में स्थायी खाता संख्या (पैन) उद्धृत करने के लिए नियम बना सके।

**भाग ख का अनुलग्नक**

**अप्रत्यक्ष कर से संबंधित संशोधन**

<b>क.</b>	<b>सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन</b>
<b>क.1</b>	<b>सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन</b>
	<p>(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उप-धारा (2) संशोधित की जा रही है ताकि उक्त अधिनियम का क्षेत्राधिकार भारत के प्रादेशिक जल-क्षेत्र से आगे मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के प्रयोजनार्थ विस्तारित किया जा सके।</p> <p>(ii) धारा 2 में 'भारतीय ध्वाजांकित मत्स्य जलयान' की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके।</p> <p>(iii) धारा 28 की उप-धारा (6) संशोधित की जा रही है ताकि तत्संबंधी उप-धारा (6) के अंतर्गत निर्धारण के संबंध में धारा 28 की उप-धारा (5) के अंतर्गत संदत्त जुर्माना शुल्क की गैर-अदायगी के लिए प्रभार समझा जाए।</p> <p>(iv) धारा 28अ की उप-धारा (2) संशोधित की जा रही है ताकि उक्त धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रिम निर्णय पांच वर्षों की अवधि या ऐसे कानून अथवा तथ्यों, जिसके आधार पर अग्रिम निर्णय घोषित किया गया है, में परिवर्तन, इनमें से जो भी पहले हो, होने तक वैध रहेगा।</p> <p>(v) उक्त उप-धारा के परंतुक को भी प्रतिस्थापित किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक, 2026 की तारीख को प्रवृत्त किसी अग्रिम निर्णय के संबंध में प्राधिकारी आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध पर निर्णय की वैधता निर्णय की तारीख से पांच वर्षों के लिए बढ़ा सकेगा।</p> <p>(vi) एक नई 56क अंतःस्थापित की जा रही है ताकि भारत के प्रादेशिक जल-क्षेत्र से आगे किसी भारतीय ध्वाजांकित मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकें। इसमें यह भी उपबंधित है कि भारत के प्रादेशिक जल-क्षेत्र से पकड़ी गई मछलियां शुल्क से मुक्त भारत में लाई जाएं और उन मछलियों को नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसे तरीके से लाई जाएं जैसे वे निर्यात उत्पादों के रूप में विदेशी पत्तनों पर आई हैं। इसमें ऐसे विनियमों को बनाना भी उपबंधित है ताकि घोषणा, अभिरक्षा, जांच, सीमा-शुल्क का निर्धारण, अनापत्ति, पारगमन या हुलाई सहित भारतीय ध्वाजांकित मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछलियों की प्रविष्टि का तरीका उपबंधित हो सके।</p> <p>(vii) सीमा-शुल्क अधिनियम में धारा 67 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, नामतः -  <i>"67. किसी माल गोदाम में रखे गए सामान का स्वामी उसे यथा उपबंधित ऐसे तरीकों के अध्यक्षीन उन्हें एक माल गोदाम से दूसरे माल गोदाम में ले जा सकेगा।"</i></p> <p>प्रस्तावित धारा का उद्देश्य सीमा-शुल्क नियंत्रित एक मालगोदाम में रखे गए सामान को एक से दूसरे में ले जाने के लिए उक्त धारा के अंतर्गत समुचित अधिकारी की पूर्व अनुमति की अपेक्षा को हटाना है।</p> <p>(viii) सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (ख) में शब्द "जांच", के स्थान पर "अभिरक्षा, जांच" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। इस संशोधन का उद्देश्य इस धारा के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत आयातित अथवा निर्यातित किए जाने वाले सामानों की अभिरक्षा हेतु उपबंध करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाना है।</p> <p>यह परिवर्तन वित्त विधेयक, 2026 को प्राप्त अनुमति की तारीख से प्रभावी होंगे।</p>

**क.2 सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन**

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची संशोधित की जा रही है ताकि अध्याय 03, 08, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41, 47, 48, 73, 81, 84, 85, 86 में 148 नई प्रशुल्क प्रविष्टियां जोड़ी, 54 प्रशुल्क प्रविष्टियां प्रतिस्थापित/विलोपित और अध्याय 29 में 2 प्रशुल्क प्रविष्टियां एवं अध्याय 85 में 1 प्रशुल्क प्रविष्टि संशोधित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, कतिपय प्रशुल्क मदों पर प्रशुल्क दर दिनांक 02.02.2026 से तथा दिनांक 01.04.2026 से दर युक्तिसंगत बनाने के भाग के रूप में कतिपय अन्य प्रशुल्क मदें भी आशोधित की जा रही हैं।

विभिन्न सामानों के संबंध में छूट संबंधी अधिसूचनाओं के स्थान पर प्रथम अनुसूची से प्रभावी मूल सीमा-शुल्क ड्यूटी दरों को लागू करने के लिए नई टैरिफ लाइनें सृजित की गई हैं तथा कतिपय विद्यमान टैरिफ लाइनों के लिए ड्यूटी की दर आशोधित की गई है। यह एक सरलीकरण प्रक्रिया है और ऐसे सामानों पर लागू ड्यूटी दर में कोई परिवर्तन नहीं है।

नई टैरिफ लाइनें भी अंतःस्थापित की जा रही हैं ताकि निर्यातों के लिए कोटिड पाइपों की बेहतर पहचान, प्रिकर्सर रासायनों का वास्तविक लेनदेन संबंधी आंकड़ा प्राप्त करने में सहायता तथा उनकी प्रभावी निगरानी, सुगमता, निर्यातों की ट्रेकिंग में मदद और पादप आधारित निष्कर्षण उत्पादों संबंधी नीतिगत उपायों का निर्णय एवं पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सके।

उपर्युक्त के विवरण के लिए वित्त विधेयक, 2026 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का संदर्भ लिया जा सकता है। यह परिवर्तन दिनांक 01.05.2026, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, से प्रभावी होंगे।

**क.3 सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के नियमों और विनियमों में संशोधन**

- (i) उपर्युक्त के अतिरिक्त अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए बैगेज नियम जारी किए जा रहे हैं।
- (ii) विलंबित ड्यूटी अदायगी मासिक की जा रही है और विद्यमान आयात सीमा-शुल्क विलंबित अदायगी नियम, 2016 को संशोधित करते हुए पात्र आयातकों की नई श्रेणी सृजित की जा रही है।
- (iii) कुरियर विनियमों के आशोधन द्वारा कुरियर के माध्यम से निर्यातित सामानों के मूल्य पर सीमा हटाई जा रही है।
- (iv) इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स की सुगमता हेतु कुरियर में वापसी और अस्वीकार संबंधी प्रक्रियाएं शिथिल की जा रही हैं।
- (v) कुरियर टर्मिनलों में व्यस्तता कम करने तथा समग्र रूप से दक्षता बेहतर करने एवं आयात और निर्यात की सुगमता हेतु कुरियर विनियम आशोधित किए जा रहे हैं ताकि उद्गम को वापसी की अनुमति हो सके।

**ख. जीएसटी नियमों में विधायी परिवर्तन**

[अन्यथा उपबंधित न हो, यह परिवर्तन जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों के साथ समन्वय करते हुए किसी अधिसूचित तारीख से प्रभावी होंगे।]

**ख.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अंतर्गत बिक्री पश्चात छूट से संबंधित उपबंधों में संशोधन**

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 की उप-धारा (3) संशोधित की जा रही है ताकि किसी करार से बिक्री पश्चात छूट को जोड़ने की अपेक्षा तथा धारा 34 के अंतर्गत क्रेडिट नोट, जहां इनपुट कर क्रेडिट प्राप्तकर्ता द्वारा वापस की जानी है, को जारी करने का संदर्भ हटाया जा सके।

**ख.2 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 में संशोधन**

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 34 संशोधित की जा रही है ताकि उक्त धारा में धारा 15 का संदर्भ शामिल किया जा सके।

**ख.3 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 में संशोधन ताकि प्रतिलोम ड्यूटी द्वाचे के मद में अनंतिम वापसी उपबंधित की जा सके**

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (6) संशोधित की जा रही है ताकि

अनंतिम वापसी संबंधी उपबंधों को प्रतिलोम ड्यूटी ढांचे से उत्पन्न वापसी तक विस्तारित किया जा सके।

**ख.4 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 में संशोधन ताकि 1000/- रुपये से कम कर की वापसी का प्रावधान किया जा सके**

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54 की उप-धारा (14) संशोधित की जा रही है ताकि यह कर अदायगी पर भारत से निर्यातित सामानों के मामलों में वापसी संबंधी दावों की स्वीकृति हेतु प्रारंभिक सीमा हटायी जा सके।

**ख.5 आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 101क में संशोधन**

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 101क में उप-धारा 1(क) अंतःस्थापित की जा रही है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन होने तक, अधिसूचना द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 101(ख) के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए किसी मौजूदा अधिकरण को शक्तियां प्रदान कर सकती है; और यह प्रावधान किया जा सके कि उप-धारा (2) से (13) के प्रावधान एक अधिकरण, जिसे उप-धारा (1क) के अंतर्गत इस प्रकार शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, वहां लागू नहीं होंगे। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

**ख.6 आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 में संशोधन ताकि मध्यवर्ती सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का प्रावधान किया जा सके**

एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 13 की उप-धारा (8) के खंड (ख) का विलोप किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि "मध्यवर्ती सेवाओं" की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिफाल्ट प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

**ग. सीमा-शुल्क ड्यूटी दर परिवर्तन**

ग.1 इनपुट लागत कम करने, घरेलू विनिर्माण पर बल देने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित मदों पर सीमा-शुल्क ड्यूटी कम की जा रही है [अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए, दिनांक 02.02.2026 से प्रभावी]

क्र.सं .	वस्तु	मूल सीमा की ड्यूटी शुल्क-दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
I	महत्वपूर्ण खनिज		
1.	मोनाजाइट	2.5%	शून्य
II.	नवीकरणीय ऊर्जा		
2.	सौर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट	7.5%	शून्य
3.	बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बैटरियों के लिए लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण में उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुएं	यथा लागू	शून्य
III.	नाभिकीय ऊर्जा		
4.	नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए टैरिफ मदों 8401 30 00 के अंतर्गत शामिल सभी वस्तुएं	7.5%	शून्य
5.	नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए टैरिफ मदों 8401 40 00 के अंतर्गत शामिल कंट्रोल एंड प्रोटेक्टर एब्जार्वर रॉड, बर्न किए जाने योग्य एब्जार्वर रॉड	7.5%	शून्य
6.	क्षमता पर ध्यान दिए बिना विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित वस्तुएं जहां	यथा लागू	शून्य

क्र.सं.	वस्तु	मूल सीमा की ड्यूटी शुल्क-दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
	परियोजनाएं आयात विनियम, 1998 के अनुपालन में 30 सितंबर, 2035 को या उससे पहले संबंधित सीमा शुल्क घरानों के साथ पंजीकृत परियोजना		
<b>IV.</b>	<b>इलेक्ट्रॉनिक</b>		
7.	टैरिफ मदों 8516 50 00 के अंतर्गत आने वाले माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुएं	यथा लागू	शून्य
<b>V.</b>	<b>नागर विमानन</b>		
8.	एअरक्रॉफ्टों और एअरक्रॉफ्टों के विनिर्माण के लिए एअरक्रॉफ्ट के इंजनों सहित उसके घटक या पार्ट	यथा लागू	शून्य
<b>VI.</b>	<b>रक्षा क्षेत्र</b>		
9.	रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा आयातित इंजनों सहित एअरक्रॉफ्ट या एअरक्रॉफ्ट के पार्टों या घटकों के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए एअरक्रॉफ्ट के पार्टों के विनिर्माण के लिए घटक	यथा लागू	शून्य
<b>VII.</b>	<b>औषधियां/दवाएं</b>		
10.	अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क दिनांक 24.10.2025 की तालिका-I के साथ संलग्न सूची 3 में जोड़े जाने के लिए 17 नई औषधियां/दवाएं	5%/10%	शून्य
11.	दुर्लभ राष्ट्रीय जो बीमारियां दुर्लभ 7बीमारी (एनपीआरडी) नीति, 2021 की भाग नहीं हैं, को जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया जाता है तो विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए औषधियों, दवाओं पर सीमा शुल्क छूट के लिए अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क दिनांक 24.10.2025 की तालिका I में जोड़ा जाना है।	यथा लागू	शून्य
<b>VIII.</b>	<b>व्यक्तिगत आयात (01.04.2026 से प्रभावी)</b>		
12.	अध्याय शीर्ष 9804 के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए गए सभी शुल्कयुक्त सामान	10%/20%	10%

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/टैरिफ का संदर्भ लिया जा सकता है।

## ग.2 सीमा शुल्क में बढोतरी/संशोधन [02.02.2026 से प्रभावी]

क्र.सं.	पण्य (कमोडिटी)	बेसिक सीमा शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
<b>I.</b>	<b>रसायन</b>		
1.	पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड	शून्य	7.5%
<b>II.</b>	<b>अंत्रेला और उसके भाग</b>		

2.	टैरिफ मदों 6601 9100 और 6601 9900 के अंतर्गत शामिल अंब्रेला (अलावा के अंब्रेला बाग)	20%	प्रति पीस 20 % या 60 रुपये जो भी अधिक हों।
3.	शीर्ष 6601 से 6602 की वस्तुओं के पार्ट और ट्रीमिंग , एसेसरीज	10%	प्रति किग्रा 10 % या 25 रुपये जो भी अधिक हों।

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/टैरिफ का संदर्भ लिया जा सकता है।

### ग.3 छूटों की समीक्षा

विभिन्न सामानों की रियायती बीसीडी दरें प्रदान करने वाली मौजूदा सीमा शुल्क अधिसूचना की समीक्षा की गई। परिणामस्वरूप, समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित छूटों को समाप्त किया जा रहा है।

#### ग.3.1 02.02.2026 से प्रभावी समापन

क्र.सं.	45/2025-सीमा शुल्क में तालिका I की क्र.सं.	विवरण
1.	1	चिड़ियां घरों द्वारा आयात किए गए जानवर और पक्षी
2.	113	अल्फा पाइनेन
3.	123	कृत्रिम प्लाज्मा
4.	128	मैन्योर या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए उपयोग हेतु अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रो फॉस्फेट
5.	132	52% से अनधिक के पोटैशियम ऑक्साइड के भार से युक्त पोटैशियम सल्फेट
6.	137	टैरिफ शीर्ष 3822 90 90* के अंतर्गत आने वाले अन्य नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक
7.	213	आईएनवीएआर
8.	258	काफी के विनिर्माण या प्रोसेसिंग में प्रयुक्त होने वाली काफी रोस्टिंग ब्रीविंग , अथवावेडिंग मशीने
9.	285	रेडियो ट्रकिंग टर्मिनलों के पार्ट
10.	287	शैक्षिक प्रकृति की पुस्तकों पत्र समाचार या (मैगजीन) पीरियॉडिकल ,जर्नल , रॉम-सीडी वाले
11.	310	लोको सिमुलेटर्स

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का टैरिफ/संदर्भ लिया जा सकता है।

\* वस्तुओं के प्रभावी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है।

#### ग.3.2 01.04.2026 से प्रभावी समापन

क्र.सं.	45/2025-सीमा शुल्क में तालिका I की क्र.सं.	विवरण
<b>अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका I</b>		
1.	93	उर्वरकों के विनिर्माण में उपयोग के लिए नेफ्था
2.	95	सेज युनिट से डीटीए युनिट की प्राप्त पॉलिआइसोब्यूटीलीन के विनिर्माण में प्रयुक्त एलपीजी जो डीटीए द्वारा सेज को वापस की गई जहां से ऐसी एलपीजी प्राप्त हुई थी

क्र.सं.	45/2025-सीमा शुल्क में तालिका I की क्र.सं.	विवरण
3.	107	सोलर सेल या सोलर सेल मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए अनडिफ्यूज सिलिकॉन वेफर के विनिर्माण के लिए सिलिकॉन**
4.	117	डीफेरीप्रॉन के विनिर्माण में प्रयुक्त माल्टॉल
5.	145	कॉपर-टी गर्भनिरोधक के विनिर्माण में विनिर्दिष्ट वस्तुएं
6.	154	इंसुलेटेड वायर और केबल विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए एथीलीन-प्रोपीलीन-नॉन कन्जुगेटेड डाइंग रबर (ईपीडीएम)
7.	172	वयस्क डायपर के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए आयातित हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नॉन-बुवेन फैब्रिक
8.	201	बहुमूल्य धातुओं वाला स्पेंट कैटलिस्ट या ऐश
9.	218	इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए मेटल पाटर्स
10.	219	बायलर्स के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए पाइप और ट्यूब
11.	231	पवन चालित विद्युत जनरेटरों में प्रयोग करने के लिए 500केडब्ल्यू से ऊपर के सिंक्रोनस जनरेटरों के विनिर्माण के लिए परमानेंट मैग्नेट
12.	236	कैटलिटिक कनवर्टर के लिए वाश कोट के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए जिओलाइट
13.	243	मेल रूप इक्विपमेंट के साथ हाईस्पीड कोल्ड सेट या हाईस्पीड हीट सेट वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें
14.	271	कैश डिस्पेन्सर या आटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेन्सर और उसके पार्ट तथा कंपोनेन्ट
15.	275	विदेशी फिल्म यूनिट या टेलीविजन टीम द्वारा आयात किए गए फिल्म बनाने के लिए टेलीविजन इक्विपमेंट, कैमरा और अन्य इक्विपमेंट
16.	276	विदेश से निर्यात होने के बाद भारत में लाए गए विदेशी मूल के फोटोग्राफिक, फिलिमिंग, साउंड रिकार्डिंग उपकरण
17.	291	डिजिटल स्टिल इमेज विडियो कैमरा के पार्ट और कंपोनेन्ट
18.	309	ई प्रयोग के विनिर्माण के रीडर-करने के लिए कच्ची सामग्री या पार्ट
19.	370	मेडिकल, सर्जिकल या वेटेरेनरी उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए एक्स-रे ट्यूब
20.	372	मेडिकल, सर्जिकल या वेटेरेनरी उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए फ्लैट पैनल डिटेक्टर
21.	397	वीडियो गेम के विनिर्माण के लिए वीडियो गेम के पार्ट
<b>अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका IV</b>		
22.	1	मीडिया में प्रिंटेड या रिकार्डेड गेमिंग कन्सोल्स में उपयोग करने के लिए मोशन पिक्चर, म्यूजिक, गेमिंग साफ्टवेयर
<b>अधिसूचना सं. 113/2003-सीमा शुल्क दिनांक 22 जुलाई, 2003</b>		
23.		सेज यूनिट द्वारा स्वदेशी प्लांट और मशीनरी में बनाए गए स्वदेशी कैस्टर ऑयल सीड से कैस्टर ऑयल केक और कैस्टर डी-ऑयल केक जिसे डीटीए में लाया गया हो, को छूट प्रदान करना।

टिप्पणी पूर्ण है। संकेतात्मक विवरण का प्रविष्टियों : विवरण के लिए अधिसूचना है। सकता जा लिया संदर्भ का टैरिफ/

\*\*वस्तुओं के प्रभावी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है।

**घ . निर्यात संवर्धन उपाय**

<b>घ.1</b>	<b>समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के शुल्कबढ़ाना सीमा-मूल्य की आयात मुक्त-समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए आयात किए गए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात की मूल्य-सीमा को 1% से बढ़ाकर पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यातित समुद्री खाद्य पदार्थों के मूल्य के एफओबी का 3% किया गया है।</b>
<b>घ.2</b>	<b>शुल्क मुक्त आयातित आदानों से विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यातकों के लिए निर्यात की समयावधि बढ़ाना</b> निर्यातकों द्वारा वस्त्र/चर्म परिधान, चर्म/सिंथेटिक फुटवेयर अथवा किसी अन्य चर्म उत्पाद के निर्यात के लिए समयावधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने किया जा रहा है।
<b>घ.3</b>	<b>निर्यात हेतु विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आदानों पर शुल्क छूट का विस्तार</b> निर्यात के लिए चर्म/सिंथेटिक फुटवेयर के विनिर्माण हेतु इनपुट पर शुल्क छूट का लाभ जूते के ऊपरी हिस्से निर्यातकों को भी दिया जा रहा है।

**ड केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव**

**ड 1** मिश्रित कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) में प्रयुक्त बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट

बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के मूल्य और मिश्रित सीएनजी में ऐसे बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) पर देय उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, को ऐसे मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना के प्रयोजनार्थ संव्यवहार मूल्य से हटाया जा रहा है।

**ड 2** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क 01 को दर (एनसीसीडी).05. ,अधिनियम वित्त लिए के करने संशोधित से 2026 2001 की \*\*\*है नहीं बदलाव कोई में दर शुल्क प्रभावी जिसमें संशोधन में अनुसूची वी7

क्र.सं.	विवरण	एनसीसीडी दर	
		पुराना दर (प्रतिशत)	नया दर (प्रतिशत)
1.	चबाने वाला तंबाकू	25%	60%
2.	जर्दा सुगंधित तंबाकू	25%	60%
3.	अन्य	25%	60%

नोट: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूरे विवरण के लिए अधिसूचना/प्रशुल्क देखें।

\*\*\*प्रभावी शुल्क दर अधिसूचना द्वारा 25 प्रतिशत बनाए रखा जाएगा।

**च. अन्य**

कुछ अन्य संशोधन भी हैं। बजट प्रस्तावों के व्यौरों के लिए, स्पष्टीकरण ज्ञापन अन्य संगत बजट दस्तावेज देखें।

व्यासन आर., संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

**F. No. 2(4)-B(D)/2026.**—The following is published for general information:—

**Budget 2026-2027**

**Speech of**

**Nirmala Sitharaman**

*Minister of Finance*

**February 1, 2026**

Hon'ble Speaker,

On the sacred occasion of Magha Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the Budget for the year 2026-2027.

**Introduction**

1. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times of heightened uncertainty and disruption. Our Government, led by Hon'ble Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric and people over populism.
2. We have pursued far reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping *atmanirbharta* as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the Government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people.
3. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperilled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy and critical minerals.
4. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment.

**Part A**

5. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world.
6. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance, as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women.
7. In the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique **Yuva Shakti-driven Budget**.
8. Our Government's 'Sankalp' is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this Sankalp, and given that this is the first Budget prepared in Kartavya Bhawan, we are inspired by 3 *kartavya*:
9. Our **first kartavya** is to accelerate and sustain economic growth, by enhancing productivity and competitiveness, and building resilience to volatile global dynamics.
10. Our **second kartavya** is to fulfil aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity.
11. Our **third kartavya**, aligned with our vision of Sabka Sath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation.

12. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the **momentum of structural reforms**— continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a **robust and resilient financial sector** is central to mobilising savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, **cutting-edge technologies, including AI applications**, can serve as force multipliers for better governance.

### Reform Express

13. Our Government has undertaken comprehensive economic reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. These include GST simplification, notification of Labour Codes, and rationalisation of mandatory Quality Control Orders. High Level Committees have been formed and in parallel, the Central Government is working with the State Governments on deregulation and reducing compliance requirements.

14. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfil our kartavya.

I now move to the specific proposals.

15. Under our first kartavya to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in six areas: i) Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors; ii) Rejuvenating legacy industrial sectors; iii) Creating "Champion MSMEs"; iv) Delivering a powerful push to Infrastructure; v) Ensuring long-term energy security and stability; and vi) Developing City Economic Regions.

### Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors:

**16. Biopharma SHAKTI (Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology and Innovation)** – India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases, like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global Biopharma manufacturing hub, I propose the **Biopharma SHAKTI** with an outlay of ₹ 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The Strategy will include a Biopharma-focused network with 3 new National Institutes of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of over 1000 accredited India Clinical Trials sites. We propose to strengthen the Central Drugs Standard Control Organisation to meet global standards and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists.

**17. India Semiconductor Mission (ISM) 1.0** expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will **launch ISM 2.0** to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centres to develop technology and skilled workforce.

**18. The Electronics Components Manufacturing Scheme**, launched in April 2025 with an outlay of ₹22,919 crore, already has investment commitments at double the target. We propose to increase the outlay to ₹40,000 crore to capitalise on the momentum.

19. A Scheme for Rare Earth Permanent Magnets was launched in November 2025. We now propose to support the mineral-rich States of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to **establish dedicated Rare Earth Corridors** to promote mining, processing, research and manufacturing.

20. To enhance domestic chemical production and reduce import-dependency, we will launch a Scheme to support States in **establishing 3 dedicated Chemical Parks**, through challenge route, on a cluster-based plug-and-play model.

21. Strong **capital goods** capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following:

- (a) **Hi-Tech Tool Rooms** will be established by CPSEs at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost.
- (b) A **Scheme for Enhancement of Construction and Infrastructure Equipment (CIE)** will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high-value and technologically-advanced CIE. This can range from lifts in a multi-story apartment, fire-fighting equipment, large and small, to tunnel-boring equipment for building metros and high-altitude roads.
- (c) I also propose a **Scheme for Container Manufacturing** to create a globally competitive container manufacturing ecosystem, with a budgetary allocation of ₹10,000 crore over a 5 year period.

**22. For the labour-intensive Textile Sector**, I propose an **Integrated Programme** with 5 sub-parts:

- (a) The National Fibre Scheme for self-reliance in natural fibres such as silk, wool and jute, man-made fibres, and new-age fibres;
- (b) Textile Expansion and Employment Scheme to modernise traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centres;

- (c) A National Handloom and Handicraft programme to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans;
- (d) Tex-Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels;
- (e) Samarth 2.0 to modernize and upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions.

23. Further, I propose to set up Mega Textile Parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles.

24. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One - District – One - Product initiative and rural youth.

25. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences.

#### **Rejuvenation of Legacy Industrial Clusters**

26. I propose to introduce a Scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation.

#### **Creating “Champion SMEs” and supporting micro enterprises:**

27. Recognising MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as ‘Champions’:

#### **Equity Support**

28. I propose to introduce a dedicated ₹10,000 crore **SME Growth Fund**, to create future Champions, incentivizing enterprises based on select criteria.

29. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021, with ₹2,000 crore to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital.

#### **Liquidity Support**

30. With TReDS, more than ₹7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures: (i) mandate TReDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates; (ii) introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TReDS platform; (iii) link GeM with TReDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing; (iv) introduce TReDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions.

#### **Professional Support**

31. Government will facilitate Professional Institutions such as ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term, modular courses and practical tools to develop a cadre of ‘Corporate Mitras’, especially in Tier-II and Tier-III towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs.

#### **Infrastructure**

32. During this past decade our Government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trusts (InVITs) and Real Estate Investment Trusts (REITs) and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population (Tier II and Tier III), which have expanded to become growth centres.

33. **Public capex** has increased manifold from ₹2 lakh crore in FY2014-15 to an allocation of ₹11.2 lakh crore in BE 2025-26. In FY2026-27, I propose to increase it to ₹12.2 lakh crore to continue the momentum.

34. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an **Infrastructure Risk Guarantee Fund** to provide prudently calibrated partial credit guarantees to lenders.

35. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetisation. I propose to accelerate recycling of significant **real estate assets of CPSEs through the setting up of dedicated REITs**.

36. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to: a) Establish new **Dedicated Freight Corridors** connecting Dankuni in the East, to Surat in the West; b) operationalise **20 new National Waterways (NW)**

over next 5 years, starting with NW-5 in Odisha to connect mineral rich areas of Talcher and Angul and industrial centres like Kalinga Nagar to the Ports of Paradeep and Dhamra. **Training Institutes** will be set up as Regional Centres of Excellence for development of the required manpower. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a **ship repair ecosystem** catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna; c) launch a **Coastal Cargo Promotion Scheme** for incentivising a modal shift from rail and road, to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6 % to 12 % by 2047.

37. To enhance last-mile and remote connectivity, and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A **Seaplane VGF Scheme** will be introduced to provide support for operations.

#### **Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)**

38. Aligning with the roadmap launched in December 2025, CCUS technologies at scale will achieve higher readiness levels in end-use applications across five industrial sectors, including, power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of ₹20,000 crore is proposed over the next 5 years.

#### **City Economic Regions**

39. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier II and Tier III cities, and even temple-towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This Budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions (CER), based on their specific growth drivers. An allocation of ₹ 5000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-results based financing mechanism.

40. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop seven **High-Speed Rail corridors between cities as 'growth connectors'**, namely i) Mumbai-Pune, ii) Pune-Hyderabad, iii) Hyderabad-Bengaluru, iv) Hyderabad-Chennai, v) Chennai-Bengaluru, vi) Delhi-Varanasi, vii) Varanasi-Siliguri.

#### **Financial Sector**

41. The Indian banking sector today is characterised by strong balance sheets, historic highs in profitability, improved asset quality and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well-placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector.

42. I propose setting up a "**High Level Committee on Banking for Viksit Bharat**", to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection.

43. The vision for **NBFCs for Viksit Bharat** has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption. In order to achieve scale and improve efficiency in the Public Sector NBFCs, as a first step, it is proposed to **restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation.**

44. I propose a comprehensive review of the **Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules** to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments, consistent with India's evolving economic priorities.

#### **Corporate Bond Market**

45. I propose to introduce a market making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds.

#### **Municipal Bonds**

46. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by large cities, I propose an incentive of ₹100 crore for a single bond issuance of more than ₹1000 crore. The current scheme under AMRUT which incentivises issuances up to ₹200 crore, will also continue to support smaller and medium towns.

#### **Ease of Doing Business**

47. Individual Persons Resident Outside India (PROI) will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under this scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24%, from the current 10%.

#### **Emerging technologies, including AI**

48. 21<sup>st</sup> Century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people - farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill and Divyangjan to access newer opportunities. The Government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research, Development and Innovation Fund.

**49. Our second kartavya** is to fulfil aspirations and build capacity. Close to 25 crore individuals have come out of multidimensional poverty through a decade of our Government's sustained and reform-oriented efforts.

50. Our Government has therefore decided to place a renewed emphasis on the Services Sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India, with the following measures.

#### **High-Powered 'Education to Employment and Enterprise' Standing Committee**

51. I propose to set up a High-Powered 'Education to Employment and Enterprise' Standing Committee to recommend measures that focus on the Services Sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services, with a 10% global share by 2047. The Committee will prioritise areas to optimise the potential for growth, employment and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof.

#### **Creation of Professionals for Viksit Bharat**

52. To create a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors:

##### **Health**

**53.** Existing institutions for **Allied Health Professionals (AHPs)** will be upgraded and new AHP Institutions established in private and Government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT Technology, Applied Psychology and Behavioural Health and add 100,000 AHPs over the next 5 years.

**54.** A strong **Care Ecosystem**, covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programmes will be developed to train multiskilled caregivers combining core care and allied skills, such as, wellness, yoga and operation of medical and assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained.

##### **Hubs for Medical Value Tourism**

55. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a Scheme to support States in establishing **five Regional Medical Hubs**, in partnership with the private sector. These Hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have AYUSH Centres, Medical Value Tourism Facilitation Centres and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These Hubs will provide diverse job opportunities for health professionals including doctors and AHPs.

##### **AYUSH**

56. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given mass global recognition when Hon'ble PM took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition.

57. Exporting quality Ayurvedic products helps farmers who grow the herbs and the youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken.

58. I propose to (i) set up 3 new All India Institutes of Ayurveda; (ii) upgrade AYUSH pharmacies and Drug Testing Labs for higher standards of certification ecosystem, and make available more skilled personnel; (iii) upgrade the WHO Global Traditional Medicine Centre in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine.

##### **Animal Husbandry**

59. Livestock contributes close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of **veterinary professionals** by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-vet colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories and breeding facilities in the private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated.

##### **Orange Economy**

60. India's Animation, Visual Effects, Gaming and Comics (AVGC) sector is a growing industry, projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges.

##### **Design**

61. The Indian design industry is expanding rapidly and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India.

## Education

62. Our Government will support States, through challenge route, in creating **5 University Townships** in the vicinity of major industrial and logistic corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, research institutions, skill centres and residential complexes.

63. In Higher Education STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF/capital support, **1 girls' hostel will be established in every district.**

64. To promote Astrophysics and Astronomy via immersive experiences, **4 Telescope Infrastructure facilities** will be set up or upgraded - the National Large Solar Telescope, the National Large Optical-infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope and the COSMOS-2 Planetarium.

## Tourism

65. The Tourism sector has the potential to play a large role in employment generation, forex earnings and expanding the local economy.

66. I propose to set up a **National Institute of Hospitality** by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry and the Government.

67 I also propose a **pilot scheme for upskilling 10,000 guides** in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality 12-week training course in hybrid mode, in collaboration with an Indian Institute of Management.

68. A **National Destination Digital Knowledge Grid** will be established to digitally document all places of significance—cultural, spiritual and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators and technology partners.

69. India has the potential and opportunity to offer world-class **trekking and hiking** experience. We will develop ecologically sustainable (i) Mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir; Araku Valley in the Eastern Ghats and Podhigai Malai in the Western Ghats. (ii) Turtle Trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala; and (iii) Bird watching trails along the Pulikat lake in Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

70. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation.

## Heritage and Culture Tourism

71. I propose to develop 15 archeological sites including Lothal, Dholavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant, experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be opened to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centres, and guides.

## Sports

72. The Sports Sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India programme, I propose to launch a **Khelo India Mission** to transform the Sports sector over the next decade.

73. The Mission will facilitate: a) An integrated talent development pathway, supported by training centres (foundational, intermediate and elite levels); b) systematic development of coaches and support staff; c) integration of sports science and technology; d) competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms; and, e) development of sports infrastructure for training and competition.

**74. Our third kartavya** aligns with our vision of Sabka Sath, Sabka Vikas towards a Viksit Bharat.

75. This requires targeted efforts for a) **Increasing farmer incomes** through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers; b) **Empowering Divyangjan** through access to livelihood opportunities, training and high-quality assistive devices; c) **Empowering the vulnerable** to access mental health and trauma care; d) **Focus on the Purvodaya States and the North-East Region** to accelerate development and employment opportunities.

## Increasing Farmer Incomes

**76. Fisheries:** We will undertake initiatives (i) for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars (ii) strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving start-ups and women-led groups together with Fish Farmers Producer Organisations.

**77. Animal Husbandry:** To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the Animal Husbandry Sector in entrepreneurship development through: (a) a Credit-Linked Subsidy Programme (b)

scaling-up and modernisation of livestock enterprises (c) enhance creation of livestock, dairy and poultry-focused integrated-value chains and (d) encourage creation of Livestock Farmer Producers Organisations.

**78. High Value Agriculture:** To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa and cashew in our coastal areas. Agar trees in North East and nuts such as, almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions will also be supported.

79. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a **Coconut Promotion Scheme** to increase production and enhance productivity through various interventions including replacing old and non-productive trees with new saplings/plants/varieties in major coconut growing States.

80. A dedicated programme is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and cocoa production and processing, enhance export competitiveness and transform **Indian Cashew and Indian Cocoa** into premium global brands by 2030.

**81. Sandalwood** is closely linked to India's social and cultural heritage. Our Government will partner with State Governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian Sandalwood ecosystem.

82. To rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density **cultivation of walnuts, almonds and pine nuts**, we will support a dedicated programme to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth.

#### **Bharat-VISTAAR (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources)**

83. I propose to launch Bharat-VISTAAR—a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers and reduce risk by providing customised advisory support.

#### **SHE-Marts for Rural Women-led Enterprises**

84. Building on the success of the Lakhpati Didi Programme, I propose to help women take the next step from credit-led livelihoods to being owners of enterprises. **Self-Help Entrepreneur (SHE) Marts** will be set up as community-owned retail outlets within the cluster level federations through enhanced and innovative financing instruments.

#### **Empowering Divyangjan**

**85. Divyangjan Kaushal Yojana:** IT, AVGC sectors, Hospitality and Food and Beverages sectors offer task-oriented and process-driven roles, which are suitable for Divyangjans. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each divyang group.

**86. Divyang Sahara Yojana:** Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjans is a fundamental need. I propose to (i) support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, (ii) strengthen PM Divyasha Kendras and support setting up of Assistive Technology Marts as modern retail-style centres where Divyangjans and senior citizens can see, try and purchase assistive products.

#### **Reaffirming our commitment to Mental Health and Trauma Care**

87. There are no national institutes for mental healthcare in north India. We will therefore set up a NIMHANS-2 and also upgrade National Mental Health Institutes in Ranchi and Tezpur as Regional Apex Institutions.

88. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in District Hospitals by establishing Emergency and Trauma Care Centres.

#### **Focus on the Purvodaya States and the North-Eastern Region**

**89. Purvodaya:** I propose the development of an integrated East Coast Industrial Corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in the 5 Purvodaya States, and the provision of 4,000 e-buses.

**90. Buddhist Sites in North-Eastern Region:** The North-Eastern Region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana/Vajrayana traditions. I propose to launch a **Scheme for Development of Buddhist Circuits** in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The Scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities.

#### **16<sup>th</sup> Finance Commission**

91. On 17<sup>th</sup> November 2025, the 16<sup>th</sup> Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the Government is to lay the Report along with the Explanatory Memorandum on the Action Taken Report on the recommendations of the Commission in Parliament. The Government has accepted the

recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided ₹1.4 lakh crore to the States for the FY 2026-27 as Finance Commission Grants. These include Rural and Urban Local Body and Disaster Management Grants.

### **Fiscal Consolidation**

92. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management, in Budget 2025-26, I had indicated that the Central Government would target reaching a debt-to-GDP ratio of 50±1 percent by 2030-31.

93. In line with this, the debt-to-GDP ratio is estimated to be 55.6 percent of GDP in BE 2026-27, compared to 56.1 percent of GDP in RE 2025-26. A declining debt-to-GDP ratio will gradually free up resources for priority sector expenditure by reducing the outgo on interest payments.

94. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I have fulfilled my commitment made in FY 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5 percent of GDP by 2025-26. In RE 2025-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4 percent of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 2026-27 is estimated to be 4.3 percent of GDP.

### **Revised Estimates 2025-26**

95. The Revised Estimates of the non-debt receipts are ₹34 lakh crore of which the Centre's net tax receipts are ₹26.7 lakh crore. The Revised Estimate of the total expenditure is ₹49.6 lakh crore, of which the capital expenditure is about ₹11 lakh crore.

### **Budget Estimates 2026-27**

96. Coming to 2026-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as ₹36.5 lakh crore and ₹53.5 lakh crore respectively. The Centre's net tax receipts are estimated at ₹28.7 lakh crore.

97. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at ₹11.7 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at ₹17.2 lakh crore.

I will now move to Part B.

## **PART B**

### **Direct Taxes**

Speaker Sir,

98. Now I present my proposals on Direct Taxes.

#### **New Income Tax Act**

99. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act, 1961. This was completed in a record time and the Income Tax Act, 2025 will come into effect from 1<sup>st</sup> April, 2026.

100. The simplified Income Tax Rules and Forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements.

101. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty.

#### **Ease of Living**

102. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from Income Tax, and any TDS on this account will be done away with.

103. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5 percent and 20 percent to 2 percent without any stipulation of amount.

104. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme (LRS) from 5 percent to 2 percent.

105. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1 percent or 2 percent only.

106. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer.

107. For the ease of taxpayers holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies.

108. I propose to extend time available for revising returns from 31<sup>st</sup> December to up to 31<sup>st</sup> March with the payment of a nominal fee.

109. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31<sup>st</sup> July and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed till 31<sup>st</sup> August.

110. TDS on the sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyer's PAN based challan instead of requiring TAN.

111. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size.

112. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers namely,

(A) who did not disclose their overseas income or asset and

(B) who disclosed their overseas income and/or paid due tax, but could not declare the asset acquired.

For category (A), the limit of undisclosed income/asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30 percent of Fair Market Value of asset or 30 percent of undisclosed income as tax and 30 percent as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution.

For category (B), asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with the payment of fee of 1 lakh rupees.

#### **Rationalizing Penalty and Prosecution**

113. Multiplicity of proceedings are a hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment & penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of pre-payment is being reduced from 20 percent to 10 percent and will continue to be calculated only on core tax demand.

114. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, at an additional 10 percent tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings.

115. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework of immunity to misreporting too. However, in such a case the taxpayer will need to pay 100 percent of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due.

116. Penalties for certain technical defaults such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee.

117. I propose to rationalise prosecution framework under the Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offences.

118. Non-production of books of account and documents, and requirement of TDS payment, where payment is made in kind, are being decriminalised. Further, minor offences will attract fine only.

119. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment, with maximum imprisonment reduced to two years, and power to courts to convert even those into fine.

120. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1.10.2024.

#### **Cooperatives**

121. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members.

122. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members.

123. I further propose to allow exemption for a period of 3 years, to dividend income received by a notified national co-operative federation, on their investments made in companies up to 31.1.2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member co-operatives.

#### **Supporting IT sector as India's growth engine**

124. India is a global leader in software development services, IT enabled services, knowledge process outsourcing services and contract R&D services relating to software development. These business segments are quite interconnected with each other.

125. All these services are proposed to be clubbed under a single category of Information Technology Services with a common safe harbour margin of 15.5 percent applicable to all.

126. The threshold for availing safe harbour for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees.

127. Safe harbour for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT Services company, the same safe harbour can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice.

128. For IT services companies who want to conclude Advance Pricing Agreement (APA), I propose to fast track Unilateral APA process for IT services and endeavour to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayer's request.

129. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also.

#### **Attracting global business and investment**

130. Recognising the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centres, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data centre services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity.

131. I also propose to provide a safe harbour of 15 percent on cost in case the company providing data centre services from India is a related entity.

132. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbour to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2 percent of the invoice value. The resultant tax of about 0.7 percent will be much lower than in competing jurisdictions.

133. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years, to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling, to any toll manufacturer in a bonded zone.

134. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global (non-India sourced) income of a non-resident expert, for a stay period of 5 years under notified schemes.

135. I propose to provide exemption from Minimum Alternate Tax (MAT) to all non-residents who pay tax on presumptive basis.

#### **Tax administration**

136. I propose to constitute a Joint Committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) in the Indian Accounting Standards (IndAS) itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 2027-28.

137. To support PM Modi's vision of home-grown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalise the definition of accountant for the purposes of Safe Harbour Rules.

#### **Other Tax proposals**

138. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as Capital Gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22 percent for corporate promoters. For non-corporate promoters the effective tax will be 30 percent.

139. TCS rate for sellers of specific goods namely alcoholic liquor, scrap and minerals will be rationalized to 2 percent and that on tendu leaves will be reduced from 5 percent to 2 percent.

140. I propose to raise the STT on Futures to 0.05 percent from present 0.02 percent. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15 percent from the present rate of 0.1 percent and 0.125 percent respectively.

141. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions.

142. To encourage companies to shift to the new regime, set-off of brought forward MAT credit is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set-off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4<sup>th</sup> of the tax liability in the new regime.

143. MAT is proposed to be made final tax. So, there will be no further credit accumulation from 1<sup>st</sup> April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14 percent from the current MAT rate of 15 percent. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 31<sup>st</sup> March 2026, will continue to be available to them for set-off as above.

#### Indirect Taxes

144. I shall now take up proposals related to Indirect Taxes. My proposals for Customs and Central Excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty.

#### Review of exemptions and tariff simplification

145. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself.

146. I shall now take up sector specific proposals.

#### Promotion of exports of marine, leather, and textile products

147. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafood products for export, from the current 1 per cent to 3 per cent of the FOB value of the previous year's export turnover.

148. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of Shoe Uppers as well.

149. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year, for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products.

#### Energy transition and security

150. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing Lithium-Ion Cells for batteries, to those used for manufacturing Lithium-Ion Cells for battery energy storage systems too.

151. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass.

#### Nuclear Power

152. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for Nuclear Power Projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity.

#### Critical Minerals

153. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for processing of critical minerals in India.

#### Biogas blended CNG

154. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the Central Excise duty payable on biogas blended CNG.

#### Civil and Defence Aviation

155. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian, training and other aircrafts.

156. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overhaul requirements by Units in the Defence sector.

**Electronics**

157. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens.

**Special Economic Zone**

158. To address the concerns arising about utilization of capacities by manufacturing units in the Special Economic Zones due to global trade disruptions, I propose, as a special one-time measure, to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the Domestic Tariff Area (DTA) at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalise these measures while ensuring level-playing field for the units working in the DTA.

**Ease of Living**

159. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20 per cent to 10 per cent.

160. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines.

161. I also propose to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and Food for Special Medical Purposes (FSMP) used in their treatment.

**Customs Process**

162. India's role and share in global trade is poised for a major leap, in line with our ambition and journey towards 'Viksit Bharat'. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade.

**Trust-based systems**

163. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 Authorised Economic Operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days.

164. I propose to provide eligible manufacturer-importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3- AEO in due course.

165. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling, binding on Customs, from the present 3 years to 5 years.

166. In the spirit of whole-of-the-government approach, Government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo.

167. Regular importers with trusted longstanding supply chains will be recognized in the risk system, so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship.

168. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer, and arrival of goods will automatically notify Customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival.

169. The Customs warehousing framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with self-declarations, electronic tracking and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals, and reduce transaction delays and compliance costs.

**Ease of Doing Business**

170. Approvals required for cargo clearance from various Government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, animal & wild life products, accounting for around 70 percent of interdicted cargo, will be operationalised on this system by April 2026 itself.

171. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by Customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty.

172. Customs Integrated System (CIS) will be rolled out in 2 years as a single, integrated and scalable platform for all the customs processes.

173. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports.

### **New export opportunities**

174. To support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters, the following measures will be taken.

- a. Fish catch by an Indian fishing vessel in Exclusive Economic Zone (EEZ) or on the High Seas will be made free of duty.
- b. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods.

Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit and transshipment.

175. To support aspirations of India's small businesses, artisans and start-ups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of ₹10 lakh per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments.

### **Ease of Living**

176. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out.

177. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues. But they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able close cases by paying an additional amount in lieu of penalty.

Honourable Speaker Sir, with this, I commend the Budget to this august House.

Jai Hind!

### **Annexure to Part A**

#### **Indicative Terms of Reference of the High-Level Education-to-Employment and Enterprise Standing Committee**

- i. identify services sub-sectors with potential for growth, employment and exports, identify sector-specific gaps and measures to unlock employment potential;
- ii. identify cross-sectoral policy and regulatory issues, including standards-setting and accreditation;
- iii. examine areas for services export;
- iv. assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements;
- v. propose specific measures for embedding AI in the education curriculum from school level onwards and upgrading State Councils of Educational Research and Training institutes for teacher training;
- vi. propose measures for upskilling and re-skilling of technology professionals/engineers in AI and emerging technologies; and
- vii. Propose measures for AI enabled matching of workers, jobs and training opportunities; and
- viii. propose measures to make the informal workflow visible, verifiable and future-ready, to enhance upward mobility prospects; and
- ix. propose steps to be taken to attract skilled diaspora and foreign talent into the country.

### **Annexure to Part B**

#### **Amendments relating to Direct Taxes**

#### **1. EASE OF LIVING**

##### **(i) Exemption of interest on compensation amount awarded by Motor Accident Claims Tribunal (MACT)**

- In order to alleviate the sufferings of victims of motor vehicle accident and their family, it is proposed that any interest awarded on compensation amount in the case of individual awarded by MACT shall be exempt.
- It is also proposed that in case of an individual, no tax shall be deducted at source for such interest, irrespective of the amount of interest awarded by MACT.

**(ii) Removal of ambiguity on the application of rate of TDS on account of supply of manpower**

- It is proposed to include supply of manpower within the definition of “work” under section 402(47) of the Income-tax Act, 2025 so as to provide that tax on such supply of manpower shall be deducted at source as “payment to contractors” under the provisions of section 393(1) [Table: Sl. No. 6(i) and (ii)] and not under the provisions of “fee for professional services” under section 393(1) [Table: Sl. No. (iii)].

**(iii) Enabling electronic verification and issuance of certificate for deduction of income-tax at lower rate or no deduction of income-tax**

- It is proposed to ease the compliance burden of small taxpayers by providing an online option to the payee, to apply for issuance of certificate for lower or nil deduction of income-tax which is proposed to be issued online after electronic verification.

**(iv) Enabling filing of declaration for no deduction of tax at source under section 393(6) of the Income-tax Act, 2025 to the depository**

- It is proposed to allow filing of the declaration by a taxpayer for no deduction of tax at source, to a depository, where income is of the nature: (i) income from units of a mutual fund (ii) interest income from securities and (iii) dividends. This will address the present requirements of an investor to file separate declaration to different payers. The depositories shall in turn report such declarations to the person responsible for payment of such income
- It is also proposed that the person responsible for paying such income shall furnish the declaration received by it from the taxpayer to the Department on quarterly basis rather on monthly basis as at present.

**(v) Extending time to file revised return or belated return.**

- Presently revised return can be filed upto 31<sup>st</sup> December following the tax year. Return filing period extends upto October 31<sup>st</sup> for persons engaged in international transactions under section 92E. In this regard, it is proposed to allow extending the time of filing revised return upto 31<sup>st</sup> March following the tax year. This revised return can be of original return or belated return. A nominal fee of Rs. 1000 or 5000 is also proposed where the revision of original or belated return is made after 31<sup>st</sup> December depending upon whether the income is upto or more than Rs. 5 lakh.

**(vi) Change in due date of filing Income-tax Return for non-auditable business and trusts**

- It is proposed to provide staggered time line for filing of tax returns due on the 31<sup>st</sup> of July. Individuals filing ITR 1 and ITR 2 shall continue to file tax returns by the 31<sup>st</sup> July and for non-audit business cases or trusts, 31<sup>st</sup> August shall be the due date.

**(vii) Reduction of compliance on sale of immovable property by non-resident to resident individual or HUF**

- It is proposed to provide that resident individual or HUF, shall not be required to obtain tax deduction and collection account number (TAN) to deduct tax at source in respect of any consideration on transfer of any immovable property by non-resident under section 393(2) [Table Sl. No. 17]. Instead, the deduction shall be reported by quoting the PAN in same manner as transaction of similar nature between two residents.

**(viii) Rationalising the due date to deposit employee contribution by the employer to claim such contribution as deduction**

- It is proposed that deduction of any amount of contribution received by the assessee being an employer, from an employee, shall be allowed as deduction in the hands of the assessee if such amount is credited by the assessee to the account of the employee, in any provident fund or superannuation fund or any fund set up under the provisions of the Employees’ State Insurance Act, on or before the due date of filing of his return of income under section 263(1) of the Act.

**(ix) Rationalising the provision related to computation of profits and gains of an insurance business other than life insurance business**

- It is proposed that any amount which had earlier been added to the income of non-life insurance business, as tax was not deducted or paid as per the provisions of section 35(b)(i) or (ii) of the Act, shall be allowed as deduction in the tax year in which tax is deducted or paid as per the provisions of section 35(b)(i) or (ii) of the Act.

**(x) Introduction of Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme (FAST – DS), 2026**

- It is proposed to introduce a time-bound scheme for declaration of foreign assets and foreign sourced income for taxpayers involving amounts below certain threshold.

## 2. RATIONALISING PENALTY AND PROSECUTION

### (i) Reduction in multiplicity of proceedings

- Presently, penalty proceedings are initiated after completion of the assessment proceedings. This takes a long time for finalising issues emerging out of any assessment. Multiplicity of proceedings increases number of pending appeals, cost of litigation and compliance. With a view to provide fast-track settlement of disputes, it is proposed to integrate assessment & penalty proceedings by way of a common order after providing reasonable opportunity to the taxpayer to explain the issue.
- To provide relief to taxpayers on account of increase in quantum of demand which may arise as a result, it is proposed that the interest on penalty would be kept in abeyance during the pendency of appeal before first appellate authority.

### (ii) Immunity from penalty from underreporting in consequence of misreporting of income and prosecution in such cases

(iv) There are broadly two kind of penalties –

- underreporting of income due to mistakes or oversight where penalty is 50% on tax amount and framework to underreporting of income in consequence of misreporting of income
- underreporting in consequence of misreporting of income on account of giving wrong or faulty information or misrepresenting the type of income where the penalty is 200% on tax amount.

There is already a framework for immunity from penalty and prosecution, under section 478 and 479 of the Act, if the penalty is initiated for underreporting of income. In this regard, it is proposed to extend the same on payment of 100% of tax amount as additional income-tax. However, the misreporting of income in respect of unexplained cash credit, etc. is proposed to be settled with a payment of 120% of the tax. In such cases immunity shall not be granted where prosecution is initiated as per provision of chapter-XXII of the Act.

### (iii) Conversion of penalty to fee

(v) It is proposed to convert

- penalty for failure to get accounts audited,
- penalty for non-furnishing of TP report and
- penalty for default in furnishing statement for financial transactions or reportable accounts into fee to be charged per day of the default subject to a maximum ceiling.

### (iv) Rationalization of the prosecution framework

- It is proposed that production of books of account and documents, and requirement of ensuring payment of TDS from the deductee where payment is made in kind, be completely decriminalised.
  - It is further proposed that all prosecutions shall be rationalised to simple imprisonment instead of rigorous imprisonment.
- Maximum punishment for any offence (except for repeated offence) is proposed to be reduced to 2 years instead of 7 years.
  - In cases where presently the maximum punishment is two years, the punishment has been reduced to 6 months with or without fine and with no minimum imprisonment.
  - It is further proposed that prosecution for the offences under Income-tax Act, 2025 shall be based on the amount of tax evaded and the punishment shall be proportionate to the gravity of crime. In such cases, the requirement of maximum punishment of imprisonment has been done away with apart from relaxing the requirement of mandatory fine to optional.
  - It is further proposed, for minor offence, only fine shall be provided as a punishment.

### (v) Rationalising the tax rate for special income charged under section 195 of the Act

- Presently there is special tax rate on certain incomes like income in the nature of cash credits, unexplained investments, etc. The tax rate is 60% and penalty is 10% of tax. It is proposed to rationalise the tax rate to 30% on these incomes. Penalty on such amount would be merged with penalty for underreporting of income in consequence of misreporting of income that is 200% of tax amount.

**(vi) Relaxation of search assessment in case of person other than the searched person in certain situation**

- Provisions for assessment in search cases was introduced by Finance (No. 2) Act, 2024. In the new scheme, where incriminating material pertaining to other person, relates only to a single tax year, the other person is also required to undergo the full block assessment procedure, resulting in an increased compliance burden on such person against whom no search or requisition was initiated.
- It is proposed to limit the period of block in case of other person, where the undisclosed income of the other person pertains only to one tax year. The definition of block period is accordingly proposed to be amended in such cases.

**(vii) Time limit to complete search assessment**

- It is also proposed to amend section 296 of the Income-tax Act, 2025 so as to take the date of initiation of search as the reference point to decide the date of limitation for block assessment and consequently, the period of twelve months is proposed to be extended to eighteen months in the case of specified person.

**(viii) Extending the scope of filing of updated return**

- There is facility for updating tax returns where the taxpayer wants to show any additional income. This facility is available for a period of 4 years for an additional tax liability of 25%, 50%, 60%, 70% from the first to the fourth year after the relevant tax year when the return of income required to be filed for the first time. To provide additional measure for reducing litigation, it is proposed to allow the taxpayer to update the return even after reassessment proceedings have been initiated. The updation is proposed to be enabled at an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for relevant year.
- It is further proposed to allow filing of updated return in cases where tax payer reduces the amount of loss filed in original return under section 263(1).
- It is further proposed that where the taxpayer files updated return and reports additional income then penalty shall not be leviable on such additional income.

**(ix) Immunity from prosecution under the Black Money Act**

- Under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, there is no penalty for non-disclosure of non-immovable assets with aggregate value less than twenty lakh rupees. It is proposed to extend this immunity for prosecution in such cases with retrospective effect from 1.10.2024.

**(x) Penalty provision for non-furnishing of statement or furnishing inaccurate information in a statement on transaction of crypto-assets**

- To ensure compliance to the provisions of section 509 of the Income-tax Act, 2025 and create a deterrence for non-furnishing of statement or for furnishing inaccurate information in respect of crypto assets in such statement, it is proposed to introduce penalty provision. Penalty of Rs. 200 per day for non-furnishing of statement and Rs. 50,000 for furnishing inaccurate particulars and failure to correct such inaccuracy is proposed to be levied.

**3. COOPERATIVES****(i) Deduction of profit and gains to a primary co-operative where they supply cattle feed and cotton seed to a federal co-operative.**

- Deduction of profit and gains is presently allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to a federal cooperative society and others engaged in the same activities. It is proposed to extend this deduction to a primary co-operative engaged in supplying of cattle feed and cotton seed to, *inter alia*, a federal co-operative or government organizations.

**(ii) Deduction of inter-cooperative society dividend income under the new tax regime.**

- The dividend received by a cooperative society from another cooperative society is allowed as a deduction in the old tax regime. Non-allowance of this deduction in the new tax regime may result in double taxation as it may be taxed in the hands of the members on further distribution by the cooperative societies. Therefore, it is proposed to allow the inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to the members.

**(iii) Deduction of dividend income received by a notified national co-operative federation in the new tax regime.**

- It is proposed to allow exemption to dividend income received by a notified national federal cooperative from a company for a period of three years. This deduction is limited to the dividend received on investments made till 31.1.2026.

- Further, this exemption would be allowed only to the extent that the dividends are further distributed to the members of the co-operatives.

#### **4. ATTRACTING GLOBAL BUSINESS AND INVESTMENT**

##### **(i) Tax holiday up to 2047 to any foreign company who provides services by procuring data centre services in India**

- Recognising the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centres, it is proposed to provide a tax holiday up to 2047 to any foreign company who provides services to any part of the world outside India by procuring data centre services in India. Sale of such services to Indian users shall be made through an Indian reseller entity and taxed appropriately.
- It is also proposed to provide a safe harbour of 15% to the resident entity providing data centre services to a related foreign company (who is providing cloud services to any part of the world outside India).

##### **(ii) Fillip to toll manufacturing engaged in manufacturing of electronic goods**

- To provide fillip to toll manufacturing in India, it is proposed to provide exemption to any foreign company who provides capital goods, equipment and tooling to any toll manufacturer in a bonded zone who is engaged in manufacturing of electronic goods. The exemption is proposed for a period of five tax years beginning on 1<sup>st</sup> April, 2026.

##### **(iii) Exemption to the global income (other than Indian sourced income) to an expert who visits India and stays for a longer period**

- To enable vast pool of global talent to come and work in India for a longer period of time, there is a need to provide tax certainty to them that only their Indian sourced income will be taxed in India despite their long period of stay.
- Accordingly, it is proposed to provide exemption to the global income (other than Indian sourced income) to an expert who visits India and stays for a period of five years. The expert visiting India should have been a non-resident in the previous five years when he visits India and should be providing services under notified Government scheme.

##### **(iv) Exemption from MAT to non-residents availing presumptive taxation scheme**

- Non-residents who avail presumptive scheme of taxation are exempt from applicability of Minimum Alternate Tax (MAT) provisions. It is proposed to extend such exemption from MAT to all non-residents who pay tax on a presumptive basis.

##### **(v) Incentivizing prospecting and exploration of critical minerals**

- In order to incentivise the prospecting and exploration of the critical minerals, it is proposed to include certain critical minerals in the list of minerals in Schedule XII of the Act, thereby making expenditure on prospecting and exploring of such critical minerals eligible for deduction as per the provision of section 51 of the Act.

##### **(vi) Extension of period of deduction for units in IFSC and rationalization of tax rate**

- To increase the competitiveness of IFSC, it is proposed to increase the period of deduction under section 147 to 20 consecutive years out of 25 years for units in IFSC and 20 consecutive years for OBUs. It is also proposed that the business income of these units from IFSC after the expiry of period of deduction will be taxed at rate of 15%.

##### **(vii) Rationalization of certain terms for treasury centres in IFSC**

- It is proposed to rationalize the provisions of deemed dividend applicable to treasury centre in IFSC by providing that provisions of deemed dividend shall not be applicable if
  - (i) the parent entity or the principal of the group shall be listed in a country or territory outside India; and
  - (ii) such parent or principal entity and other group entity to the transaction is located in a country or territory outside India as may specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette.

#### **5. RATIONALISATION OF CORPORATE TAX REGIME**

##### **(i) Reduction of rate of Minimum Alternate Tax (MAT) and allowance of set-off of brought forward MAT credit to companies shifting to the new tax regime**

- To enable companies to shift to the new regime, MAT is proposed to be made as a final tax and the corresponding rate is reduced from 15% to 14%. There shall be no allowance of credit in future tax years in respect of such payment.
- Further, the set-off of any brought forward MAT credit available from prior to tax year 2026-27 will only be allowed to domestic companies which shift henceforth to the new regime.
- This set-off of MAT credit brought forward as on 1/4/2026 is proposed to be allowed in the new tax regime to domestic companies to the extent of 25% of their tax liability.
- The brought forward MAT credit shall be available only up to fifteenth year from the year when the corresponding credit was first available.
- In the case of foreign companies, set off is proposed to be allowed to the extent of the difference between the tax on the total income and the minimum alternate tax, for the tax year in which normal tax is more than MAT.

## 6. RATIONALISATION OF OTHER DIRECT TAX PROVISIONS

### (i) Rationalisation of share buyback

- It is proposed to provide that consideration received by a shareholder on buy-back shall be chargeable to tax under the head "Capital Gains" instead of being treated as dividend income. It is also proposed to provide for a differential rate for promoters wherein the effective rate on gains in buyback will be 22% for promoters which are domestic companies and 30% for promoters other than domestic companies.

### (ii) Rationalisation of tax collection at source (TCS) rates

- It is proposed to reduce multiplicity of TCS rates. Also, certain TCS rates are rationalised to address the cash flow issues on this account.

Sl. No.	Nature of receipt	Current Rate	Proposed Rate
1	Sale of alcoholic liquor for human consumption.	1%.	2%.
2	Sale of tendu leaves.	5%.	2%.
3	Sale of scrap.	1%.	2%.
4	Sale of minerals, being coal or lignite or iron ore.	1%.	2%.
5	Remittance under the Liberalised Remittance Scheme of an amount or aggregate of the amounts exceeding ten lakh rupees—	(a) 5% for purposes of education or medical treatment; (b) 20% for purposes other than education or medical treatment.	(a) 2% for purposes of education or medical treatment; (b) 20% for purposes other than education or medical treatment.
6	Sale of "overseas tour programme package" including expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any such similar or related expenditure.	(a) 5% of amount or aggregate of amounts up to ten lakh rupees; (b) 20% of amount or aggregate of amounts exceeding ten lakh rupees.	2%

### (iii) STT rate increase

- To provide reasonable course correction in F&O segment in the capital market and generate additional revenues for the Government, it is proposed to raise the STT on Futures to 0.05% from present 0.02%.
- STT on options premium and exercise of options is proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively.

**(iv) Capital Gains Exemption for Sovereign Gold Bonds**

- It is proposed to provide that the exemption from capital gains tax in respect of Sovereign Gold Bonds shall be available only where such bonds are subscribed to by an individual at the time of original issue and are held continuously until redemption on maturity,
- It is also proposed to provide that this exemption applies uniformly to all issuances of Sovereign Gold Bonds by the Reserve Bank of India.

**(v) Rationalisation of Schedule XI relating to Recognised Provident Funds**

- It is proposed to amend Schedule XI to rationalise the provisions relating to recognised provident funds by deleting parity-based and percentage-based limits on employer contributions, removing salary-linked relaxations and shareholder-based distinctions, aligning eligibility for recognition with exemption under section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and modifying investment-related provisions to remove rigid statutory caps inconsistent with prevailing EPFO norms.

**(vi) Removal of Interest Deduction against Dividend and Mutual Fund Income**

- It is proposed to provide that no deduction shall be allowed in respect of any interest expenditure incurred in relation to dividend income or income from units of mutual funds, and to omit the existing provision permitting such deduction subject to a specified ceiling.

**(vii) Enabling provision to provide clarity on situations where an amount which has been claimed as deduction or which has not been added in the total income will be deemed income**

- It is proposed that where any sum has been allowed as deduction or has not been included in the total income under the repealed Income-tax Act, 1961, such sum will be deemed to be income under Income-tax Act, 2025, even without violations of any conditions, if it was to be included in the total income under the provisions of Income-tax Act, 1961 had it not been repealed.

**(viii) Rationalising the provisions related to tonnage tax scheme**

- It is proposed to rationalise the tonnage tax scheme provisions to align it with the Inland Vessels Act, 2021 and rules made thereunder.

**(ix) Disability Pension for Armed Forces**

- It is proposed to provide a specific exemption for disability pension granted to members of the Armed Forces including paramilitary personnel, covering both the service element and the disability element, where the individual has been invalidated out of service on account of a bodily disability attributable to, or aggravated by, military, naval or air force service, and to exclude cases of retirement on superannuation or otherwise.

**(x) Exemption on income in respect of compulsory acquisition of any land under RFCTLARR Act**

- In order to specifically provide exemption for acquisition of land under the provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, it is proposed to provide exemption to an individual or a Hindu undivided family on any income in respect of any award or agreement made on account of compulsory acquisition of any land under the said Act (other than the award or agreement made under section 46 of said Act).

**(xi) Facility to the associated entity of the person entering into Advance Pricing Agreement (APA) to file modified return**

- In Advance Pricing Agreement (APA), there is already a facility for the entity entering APA to file modified returns according to the agreement. It is proposed to extend the same facility to the associated entity of the person entering into agreement where it's income also changes on account of the agreement.

**(xii) Amendments in the nature of clarifications**

There are certain legal issues in which there are differing judgement of courts. These relate to time-limit for assessment after Dispute Resolution Panel proceedings, time-limit for Transfer Pricing Officer order, Document Identification Number and issuance of notice for re-assessment by the Jurisdictional Assessing Officer. In this regard, it is proposed to clarify these issues in the Income-tax Act, 1961 and Income-tax Act, 2025 to provide certainty to the provisions.

**(xiii) Other minor modification in the Income-tax Act, 2025**

- It is proposed to provide definition of "commodity derivative" in section 66 of the Act.
- It is proposed to provide definition of "authorised person" in section 402 of the Act.

- It is proposed to correct referencing error in Note 3 of section 393(1) [Table: Sl. No. 3(i)] from [Table: Sl. No. 3(iii)] to [Table: Sl. No. 3(i)].
- It is proposed to correct referencing error in section 99(2) from 99(1)(a)(i) to section 99(1)(a)(ii).
- It is proposed to amend section 400(2) of the Income-tax Act, 2025 to align it with the intent of the provisions of Income-tax Act, 1961 and to provide that the guidelines issued by the Board under this section shall apply to income-tax authorities as well as the person liable to deduct or collect, as the case may be, income-tax.
- It is proposed to amend sections 58, 162, 164, 165, 202 and 270 of the Income-tax Act, 2025 to remove duplicate reference to both the section 144 and Chapter VIII, as chapter VIII already includes section 144.
- It is proposed to amend schedule VI [Note 1(g)] to align the definition of the specified fund as provided in Schedule VI [Note 1(g)] of the Income-tax Act, 2025 with the provisions of section 10(4D) of the Income-tax Act, 1961.
- It is proposed to amend section 352(4) [Table: Sl. No. 8] to align the provisions relating to accreted income in the case of merger of registered NPOs with any other entity other than a registered non-profit organisation (NPO) or with any other registered NPO having the same or similar objects but the said merger does not fulfil such conditions as may be prescribed or with a registered NPO that does not have same or similar objects.
- It is proposed to insert a new section on the lines of section 12AC of the Income-tax Act, 1961 to allow the merger of the registered NPO with any other registered NPO having the same or similar objects if the said merger fulfils such conditions, as may be prescribed.
- It is proposed to amend section 351 of the Income-tax Act, 2025 to remove the reference of section 346 of the Income-tax Act, 2025 in said section to align the provision with the Income-tax Act, 1961
- It is proposed to amend section 332(1)(f) of the Income-tax Act, 2025 to remove the reference of Schedule VII [Table: Sl. No. 10 to 16] in said section so that such funds may not be required to register themselves as the registered NPO.
- It is proposed to amend section 349 to enable the filing of belated return by the registered NPO.
- It is proposed to change the annual value of property or part thereof to be treated as nil from “for two years” to “upto two years”.
- It is proposed to amend section 22(2) of the Income-tax Act, 2025 so as to provide that aggregate amount of deduction for interest on borrowed capital shall be inclusive of prior-period interest payable.
- It is proposed to amend section 262(10)(c) to enable Central Board of Direct Taxes (CBDT) to make rules for quoting of Permanent Account Number in such documents which does not relate to business or profession.

#### Annexure to Part B

#### Amendments relating to Indirect Taxes

#### A. LEGISLATIVE CHANGES IN CUSTOMS LAWS

##### A.1 Amendments in the Customs Act, 1962

- (i) Sub-section (2) of section 1 of the Customs Act, 1962 is being amended to extend the jurisdiction of the said Act beyond the territorial waters of India, for the purpose of fishing and fishing related activities.
- (ii) In section 2, a new clause is being inserted to define the expression ‘Indian-flagged fishing vessel’.
- (iii) Sub-section (6) of section 28 is being amended so as to provide that the penalty paid under sub-section (5) of section 28, on determination under sub-section (6) thereof, shall be deemed to be a charge for non-payment of duty.
- (iv) Sub-section (2) of section 28J is being amended so as to provide that advance ruling under sub-section (1) of that section shall remain valid for a period of five years or till there is a change in law or facts on the basis of which the advance ruling has been pronounced, whichever is earlier.
- (v) The proviso to the said sub-section is also being substituted so as to provide that in respect of any advance ruling in force on the date on which the Finance Bill, 2026 receives the assent of the President, the Authority shall, upon a request by the applicant, extend the validity of the ruling for five years from the date of the ruling.

(vi) A new section 56A is being inserted to provide special provisions for fishing and fishing related activities by an Indian-flagged fishing vessel beyond territorial waters of India. It also provides that fish harvested beyond the territorial waters of India may be brought into India free of duty and to treat fish that has landed at foreign port as export of goods in such manner as may be provided by rules. It also provides to make regulations to provide for the form and manner of making an entry in respect of fish harvested by an Indian-flagged fishing vessel including its declaration, custody, examination, assessment of duty, clearance, transit or transhipment.

(vii) In the Customs Act, for section 67, the following section shall be substituted, namely: -

*“67. The owner of any warehoused goods may remove them from one warehouse to another, subject to such conditions as may be prescribed.”*

The proposed section seeks to do away with the requirement of prior permission of the proper officer under the said section for removal of warehoused goods from one custom bonded warehouse to another.

(viii) In section 84 of the Customs Act, in clause (b), for the words *“the examination”*, the words *“the custody, examination”* shall be substituted. The amendment seeks to enable the Board to make provisions for the custody of goods imported or to be exported under the regulations framed under this section.

These changes shall come into effect from date of assent to the Finance Bill, 2026.

#### **A.2 Amendments in the Customs Tariff Act, 1975**

- (i) The First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 is being amended to, add 148 new tariff entries in chapter 03, 08, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41, 47, 48, 73, 81, 84, 85, 86, substitute/delete 54 tariff entries and amend 2 tariff entries in chapter 29 and 1 tariff entry in chapter 85.
- (ii) Further the tariff rate on certain tariff items is being modified with effect from 02.02.2026 and the rates on certain other tariff items are also being modified as part of rate rationalisation with effect 01.04.2026.
- (iii) In respect of various goods, to operationalize effective basic customs duty rates from First Schedule instead of exemption notifications, new tariff lines have been created and the rate of duty for certain existing tariff lines has been amended. This is a simplification exercise and there is no change in the applicable rate of duties on such goods.
- (iv) New tariff lines are also being introduced to help in better identification of the coated pipes for exports, getting actual transaction data of precursor chemicals and help in their effective monitoring, facilitating, tracking exports and deciding policy measures for Plant based extract products, and providing boost to eco-friendly industries
- (v) For details of the above, the Explanatory Memorandum to the Finance Bill, 2026, may be referred. These changes will come into effect from 01.05.2026, unless otherwise specified.

#### **A.3 Amendment to Rules and Regulations under Customs Act, 1962**

- (i) In addition to the above, new Baggage Rules are being issued for international passengers.
- (ii) Deferred duty payment is being made monthly and a new class of eligible importers is being created by amending the existing Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016.
- (iii) Cap on the value of goods exported through courier is being removed by amending Courier Regulations.
- (iv) Further, to ease e-commerce, the returns and rejects procedures in courier is being relaxed.
- (v) To decongest the courier terminals and to improve the overall efficiencies and ease of import and export, the Courier Regulations are being amended to allow for return to origin.

### **B. LEGISLATIVE CHANGES IN GST LAWS**

[Save as otherwise provided, these changes will be brought into effect from a date to be notified in coordination with States, as per recommendations of the GST council]

#### **B.1 Amendments in provisions related to post-sale discounts under section 15 of the CGST Act, 2017**

Sub-section (3) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 is being amended to do away with the requirement of linking the post-sale discount with an agreement and to refer to issuance of credit note under section 34 where the input tax credit is to be reversed by the recipient.

**B.2 Amendments in Section 34 of the CGST Act, 2017**

Section 34 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 is being amended so as to include the reference of section 15 in the said section.

**B.3 Amendments in Section 54 of the CGST Act, 2017 to provide for provisional refunds on account of inverted duty structure**

Sub-section (6) of Section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 is being amended to extend the provisions of provisional refund to refunds arising out of inverted duty structure.

**B.4 Amendments in Section 54 of the CGST Act, 2017 to provide for refund of tax below Rs. 1000/-**

Sub-section (14) of Section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 is being amended to remove the threshold limit for sanction of refund claims in case of goods exported out of India with payment of tax.

**B.5 Amendments in Section 101A of the CGST Act, 2017**

Sub-section (1A) is being inserted in Section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to provide that the Central Government may, pending the constitution of the National Appellate Authority, by notification empower an existing Tribunal for hearing appeals under section 101B of the CGST Act, 2017; and to provide that the provisions of sub-sections (2) to (13) shall not be applicable where a Tribunal has been so empowered under sub-section (1A). This change shall come into effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2026.

**B.6 Amendments in Section 13 of the IGST Act, 2017 to provide for place of supply for intermediary services**

Clause (b) of sub-section (8) of section 13 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 is being omitted so as to provide that the place of supply for "intermediary services" will be determined as per the default provision under section 13(2) of the IGST Act.

**C. CUSTOMS DUTY RATE CHANGES****C.1 To reduce input costs, boost domestic manufacturing and promote export competitiveness, customs duty on the following items are being reduced [with effect from 02.02.2026, unless otherwise specified]**

S. No.	Commodity	Rate of Basic Customs Duty	
		From (per cent)	To (per cent)
<b>I</b>	<b>Critical Minerals</b>		
1.	Monazite	2.5%	Nil
<b>II.</b>	<b>Renewable Energy</b>		
2.	Sodium antimonate for use in manufacture of solar glass	7.5%	Nil
3.	Specified capital goods for use in manufacture of lithium-ion cells for batteries of Battery Energy Storage System	As applicable	Nil
<b>III.</b>	<b>Nuclear Energy</b>		
4.	All goods for generation of nuclear power falling under tariff item 8401 30 00	7.5%	Nil
5.	Control and Protector Absorber Rods, Burnable Absorber Rods for generation of nuclear power falling under tariff item 8401 40 00	7.5%	Nil
6.	Goods required for the setting up of specified Nuclear Power Projects, irrespective of their capacity, where the projects have been registered with the Customs Houses concerned on or before 30 <sup>th</sup> September 2035 in compliance with the Project Import Regulations, 1986	As applicable	Nil

<b>IV.</b>	<b>Electronics</b>		
7.	Specified goods for use in the manufacture of Microwave Ovens falling under tariff item 8516 50 00	As applicable	Nil
<b>V.</b>	<b>Civil Aviation</b>		
8.	Components or parts including engines, of aircraft, for manufacture of aircraft and parts of the aircraft	As applicable	Nil
<b>VI.</b>	<b>Defence Sector</b>		
9.	Raw materials for manufacture of parts of aircraft for maintenance, repair, or overhauling of aircraft or components or parts of aircraft, including engines, when imported by Public Sector Units under the Ministry of Defence	As applicable	Nil
<b>VII.</b>	<b>Drugs/ Medicines</b>		
10.	17 new drugs/medicines to be added in List 3 appended to TABLE I of notification No. 45/2025-Customs dated 24.10.2025	5%/10%	Nil
11.	7 rare diseases that are part of National Policy for Rare Disease (NPRD), 2021 to be added in List 22 appended to TABLE I of notification No. 45/2025-Customs dated 24.10.2025 for customs duty exemption on drugs, medicines and food for special medical purposes, when imported for personal use	As applicable	Nil
<b>VIII.</b>	<b>Personal Imports (with effect from 01.04.2026)</b>		
12.	All dutiable goods, imported for personal use under Chapter heading 9804	10%/20%	10%

Note: Description of entries is indicative. Notification/Tariff may be referred for complete description.

#### C.2 Increase/Modification in Customs duty [with effect from 02.02.2026]

S. No.	Commodity	Rate of Basic Customs Duty	
		From (per cent)	To (per cent)
<b>I.</b>	<b>Chemicals</b>		
1.	Potassium hydroxide	Nil	7.5%
<b>II.</b>	<b>Umbrella and its parts</b>		
2.	Umbrellas (other than garden umbrellas) covered under tariff items 6601 9100 and 6601 9900	20%	20% or Rs. 60 per piece, whichever is higher
3.	Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 to 6602	10%	10% or Rs. 25 per kg., whichever is higher

Note: Description of entries is indicative. Notification/Tariff may be referred for complete description.

**C.3 Review of exemptions**

A review of the existing customs notifications providing concessional BCD rates to various goods was undertaken. Consequently, upon review, the following exemptions are being lapsed.

**C.3.1 To lapse with effect from 02.02.2026**

S. No.	S. No. of Table I in 45/2025-Customs	Description
1.	1	Animals and birds imported by Zoo
2.	113	Alpha pinene
3.	123	Artificial plasma
4.	128	Ammonium phosphate or ammonium nitro-phosphate, for use as manure or for the production of complex fertilisers
5.	132	Potassium sulphate, containing not more than 52% by weight of potassium oxide*
6.	137	Other diagnostic or laboratory reagents falling under tariff heading 3822 90 90*
7.	213	INVAR
8.	258	Coffee roasting, brewing or vending machines for use in the manufacture or processing of coffee
9.	285	Parts of radio trunking terminals
10.	287	CD-ROMs containing books of an educational nature, journals, periodicals (magazines) or newspapers
11.	310	Loco simulators

*Note: Description of entries is indicative. Notification may be referred for complete description.*

*\*no change in the effective rate of duty on the goods*

**C.3.2 To lapse with effect from 01.04.2026**

S. No.	S. No. of notification No. 45/2025-Customs	Description
<b>In Table I of notification No. 45/2025-Customs</b>		
1.	93	Naphtha, for use in the manufacture of fertilisers
2.	95	LPG, consumed in the manufacture of polyisobutylene by DTA unit received from SEZ unit and returned by DTA to SEZ from where such LPG were received.
3..	107	Silicon for the manufacture of un-diffused silicon wafers, and un-diffused silicon wafers for the manufacture of solar cells or solar cell modules**
4.	117	Maltol, for use in the manufacture of deferiprone
5.	145	Specified goods in manufacture of Copper-T contraceptives
6.	154	Ethylene – Propylene – Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM) for use in the manufacture of insulated wires and cables
7.	172	Hydrophilic and hydrophobic non- woven fabrics, imported for use in the manufacture of adult diapers
8.	201	Spent catalyst or ash containing precious metals
9.	218	Metal parts for use in the manufacture of electrical insulators
10.	219	Pipes and tubes for use in manufacture of boilers

S. No.	S. No. of notification No. 45/2025-Customs	Description
11.	231	Permanent magnets for manufacture of synchronous generators above 500KW for use in wind operated electricity generators
12.	236	Zeolite for use in the manufacture of wash coat for catalytic converters
13.	243	High speed cold-set or high speed heat set web offset printing machines along with mail room equipment
14.	271	Cash dispenser or automatic banknote dispenser and its parts and components
15.	275	Television equipment, cameras and other equipment for taking films, imported by a foreign film unit or television team
16.	276	Photographic, filming, sound recording of foreign origin, if imported into India after having been exported there from
17.	291	Parts and components of digital still image video cameras
18.	309	Raw materials or parts for use in manufacture of e-Readers
19.	370	X-Ray tubes used in manufacture of X-ray machines for medical, surgical or veterinary use
20.	372	Flat panel detector for use in manufacture of X-Ray machine for medical, surgical or veterinary use
21.	397	Parts of video games for the manufacture of video games
<b>In Table IV of notification No. 45/2025-Customs</b>		
22.	1	Motion pictures, music, gaming software for use on gaming consoles printed or recorded on media
<b>In notification No. 113/2003-Customs dated 22 July 2003</b>		
23.		Exemption to castor oil cake and castor de-oiled cake manufactured from indigenous castor oil seeds on indigenous plant and machinery by unit in SEZ and brought to DTA

*Note: Description of entries is indicative. Notification may be referred for complete description.*

*\*\* no change in the effective rate of duty on the goods*

#### **D. Export Promotion Measures**

##### **D.1 Increase in value limit of duty-free import of specified goods for use in processing of sea-food**

The value limit of duty-free imports of specified goods imported for use in processing of sea-food has been increased from 1% to 3% of the FOB value of seafood products exported during the preceding financial year.

##### **D.2 Increase in time period of export for exporters of specified goods manufactured from duty-free imported inputs**

The time period of export of textile/leather garments, leather/synthetic footwear or any other leather product by exporters is being extended from six months to twelve months.

##### **D.3 Extension of duty exemption on inputs for manufacture of specified goods for export**

The benefit of duty exemption on inputs for manufacture of leather/synthetic footwear for export is being extended to exporters of shoe-uppers also.

#### **E. Central Excise Duty Changes**

##### **E.1 Exemption of Central Excise Duty on value of Biogas/Compressed Biogas (CBG) contained in Blended Compressed Natural Gas (CNG)**

The value of Biogas/Compressed Biogas (CBG) and the appropriate Central Tax, State Tax, Union Territory Tax or Integrated Tax, as the case may be, paid on such Biogas or CBG contained in blended CNG, is being excluded from the transaction value for the purpose of computation of central excise duty on such blended CNG.

**E.2 Amendment to Seventh Schedule to the Finance Act, 2001 to revise the National Calamity Contingent Duty (NCCD) Rate with effect from 01.05.2026 with no change in the effective duty rate\*\*\***

S.No.	Description	NCCD Rate	
		From (per cent)	To (per cent)
1.	Chewing tobacco	25%	60%
2.	Jarda scented tobacco	25%	60%
3.	Other	25%	60%

*Note: Description of entries is indicative. Notification/Tariff may be referred for complete description.*

*\*\*\*effective duty rate will be maintained at 25% by notification*

**F. Others**

There are a few other changes. For details of the budget proposals, the Explanatory Memorandum and other relevant budget documents may be referred to.

VYASAN R., Jt. Secy. (Budget)